# राजस्थान सरकार
# नागरिक उड्डयन विभाग

क्रमांक–प. 2(2)नाउ / 2018 दिनांकः–

**–:आदेश:–**

राज्य सरकार द्वारा उत्तरलाई एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं एप्रोच रोड हेतु आवश्यक कुल 64.43 एकड़ भूमि में सम्मिलित 62.96 एकड़ (25.4785 हैक्टेयर) निजी भूमि की अवाप्ति सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक है।

अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–7 के अन्तर्गत गठित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है। उक्त परियोजना को सार्वजनिक उद्वेश्यों की पूर्ति करने वाली तथा परियोजना के क्षेत्र में नकारात्मक प्रभावों की तुलना में सकारात्मक प्रभाव अधिक होना पाया गया है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–8 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 की धारा–12 के प्रावधानों के अनुसरण में सामाजिक समाघात रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (नोडल अधिकारी), बाड़मेर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर) प्रस्तावित भूमि अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

**आज्ञा से,**

**(दाताराम)**
**संयुक्त शासन सचिव**

**प्रतिलिपिः–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नागरिक उड्डयन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।
3. निदेशक, नागरिक विमानन निदेशालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बाड़मेर।
5. अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को प्रसारित कराने की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।
6. सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर को धारा–8 में निहित कार्यवाहियों के पालनार्थ प्रेषित है।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।

**(दाताराम)**
**संयुक्त शासन सचिव**

Signature valid
Digitally signed by Dataram
Designation : Joint Secretary
Date: 2025.07.22 1[illegible]:13:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16652976
eSign 1.0

राजस्थान–सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांकः–राजस्व/2025/ दिनांकः–

**संयुक्त शासन सचिव,**
**नागरिक उड्डयन विभाग**
**राजस्थान जयपुर।**

**विषय– उत्तरलाई एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं एप्रोच रोड़ निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किये जाने बाबत्।**

**प्रसंग– भूमि अवाप्ति अधिकारी(एस.डी.ओ.) बाड़मेर का पत्रांक–2064 दिनांक–14.07.2025।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उत्तरलाई एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं एप्रोच रोड़ निर्माण हेतु 25.4785 हैक्टेयर भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध करवाने हेतु अवाप्त किया जाना हैं।

प्राधिकृत अधिकारी,भूमि अवाप्ति (उपखण्ड अधिकारी,बाड़मेर) के पत्र दिनांक 14.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि अवाप्ति के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम 2016 की धारा 10 के तहत गठित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह से अन्तिम प्रतिवेदन/अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उक्त रिपोर्ट का राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम 2016 की धारा 11 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थलों पर चस्पाकंन एवं राज्य सरकार की जिले की वेबसाईड पर अपलोड करवा दिया गया है।

अतः प्राधिकृत अधिकारी,भूमि अवाप्ति (उपखण्ड अधिकारी,बाड़मेर) से प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिसे संलग्न कर निवेदन है कि भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 8 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम 2016 की धारा 12 के तहत राज्य सरकार के निर्णय एवं भूमि अवाप्ति की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

**(टीना डाबी)**
**जिला कलक्टर, बाड़मेर**

क्रमांकः–राजस्व/2025/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं–

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (नोडल अधिकारी) बाड़मेर।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर।

Signature valid
जिला कलक्टर, बाड़मेर
Digitally signed by Tina Dabi
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.07.16 13:05:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16576648

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर जिला बाड़मेर

कमांक/भूमि अवाप्ति/उतरलाई ऐयरपोर्ट/2025/ 2064 दिनांक– 14/07/2025

प्रेषितः–

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदया,
बाड़मेर

विषयः– उतरलाई (बाड़मेर) पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण हेतु 25.4785 हैक्टेयर भूमि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण बाबत् अधिग्रहण समाजिक समाघात आंकलन (एस.आई.ए.) अंतिम प्रतिवेदन/अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, राजस्थान सरकार पत्रांक प.1(50) राज–6/2016/07 दिनांक 27.01.2017 की पालना में जनहित उतरलाई (बाड़मेर) पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण हेतु 25.4785 हैक्टेयर भूमि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण बाबत् अधिग्रहण समाजिक समाघात आंकलन (एस.आई.ए.) अंतिम प्रतिवेदन/अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 7 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम–2016 की धारा 31 (2) के अग्रीम कार्यवाही कराने बाबत् सामाजिक समाघात आंकलन (एस. आई.ए.) अंतिम प्रतिवेदन/अध्ययन रिपोर्ट सलंग्न कर श्रीमान् की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

(वीरमा राम)
प्राधिकृत अधिकारी, भूमि अवाप्ति
(उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर

कमांक/भूमि अवाप्ति/उतरलाई ऐयरपोर्ट/2025/ 2065-2067 दिनांक– 14/07/2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर बाड़मेर।
2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान–जयपुर।
3. श्रीमान् शासन सचिन राजस्व (गुप–6) विभाग राजस्थान–जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी, भूमि अवाप्ति
(उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर

# भूमि अधिग्रहण के लिए किये गये सामाजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन का बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह (Muli-disciplinary Expert Group) द्वारा भूमि अवाप्ति एक्ट 2013 की धारा 7(5) के तहत् मूल्याकंन एवं अनुशंषा

## परियोजना का परिचय

प्रस्तावित परियोजना उतरलाई (बाड़मेर) पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण प्रस्तवित क्षैत्र में आने वाले चकलाणी, लालाणियों की ढ़ाणी एवं बेरीवाला गांवों की 25.4785 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी धारा–4(1) के अधिसूचनानुसार राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उतरलाई (बाड़मेर) पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण के लिए आवश्यक 25.4785 हैक्टयर भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटित कराये जाने हेतु इस भूमि में सम्मिलित 25.4786 हैक्टयर निजी भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्ताव अनुसार तहसील बाड़मेर ग्रामीण के राजस्व ग्राम लालाणियों की ढ़ाणी, बेरीवाला गांव एवं चकलाणी की निजी भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है जिसकी ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा, कुड़ला एवं आदर्श ढूण्ढा लगती है। तीनों गांवों की 25.4786 हैक्टयर जमीन अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

## परियोजना के लक्ष्य

प्रस्तावित परियोजना उतरलाई (बाड़मेर) हवाई अड्डा को अन्तर्राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर लाने के लिए एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की विश्वसनीय, निर्बाध हवाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता को पहचानते हुए अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए राज्य सरकार का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है।

## प्रस्तावित परियोजना का उदेश्य

प्रस्तावित परियोजना उतरलाई (बाड़मेर) पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण होने से मुख्य उदेश्य व्यवसाय एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि रिफाईनरी क्षैत्र एवं बाड़मेर के थार रेगिस्तान में विदेशों से आने वाले पर्यटकों के साथ आसपास के क्षैत्र से विदेशों में रोजगार हेतु जाने वाले लोागों को सुविधाऐं उपलब्ध हो सकें। इस परियोजना से राज्य एवं आस–पास क्षैत्र के लोगो को गंतव्य तक शीघ्र पहुॅचने में पर्याप्त विमान सेवाऍ उपलब्ध हो सकेगी। पर्याप्त विमान सुविधाओं की उपलब्धता एवं देश–विदेश के साथ कनेक्टिविटी के साथ क्षैत्र में पर्यटन, उधोग एवं आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी एवं रोजगार के अवसर सृजित होगे, अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षैत्र होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी लाभकारी साबित होगी।

## परियोजना के लाभ

किसी भी क्षैत्र में कोई परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उसके लाभों को जानने का प्रयास किया जाता है कि परियोजना के क्रियान्वयन से क्षैत्र, जिला, राज्य को किस प्रकार के लाभ होंगे। इस प्रकार हवाई अड्डा के नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण के सम्भावित लाभ निम्न प्रकार हैः–

- हवाई अड्डा के नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण से राज्य एवं जिला के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बाड़मेर में तैल एवं गैस की कम्पनियों के लोगो के लिये यात्रायात सुगम होगा एवं बाड़मेर से

रोजगार हेतु विदेशों/अन्य राज्यों मे गये लोगो एवं स्थानीय लोगो को वायुयान की सुविधा मिलेगी पवन एवं सौर ऊर्जा तथा बाड़मेर जिला बोर्डर जिला होने से सामरिक महत्व के लिये भी आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध होगी। क्षैत्र में गति प्रदान करेगा।

- जिस क्षैत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती है तो इसका स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है एवं उनको भी रोजगार का अवसर मिलता है।
- परियोजना के माध्यम से लोगों के रोजगार एवं आय में अभिवृद्वि होगी।
- अधिक सख्या में विदेशी एवं स्थानीय पर्यटकों के आवागमन से राज्य की आय (राजस्व) में अभिवृद्वि होगी।
- बाड़मेर के अतिरिक्त आसपास के जिले जैसलमेर, बालोतरा, जालोर एवं अन्य जगहों से विदेशों/अन्य राज्यों में निवेश/शिक्षा/रोजगार हेतु जाने वाले लोगो को नजदीकी हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- बेहतर आवागमन के साधन से औधोगिक क्षैत्र का विस्तार होगा एवं लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगें।
- आर्थिक आय में अभिवृद्वि से लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता से हल कर पायेंगें
- फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे जिला एवं राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी एवं स्थानीय संस्कृति किराडू एवं जूना मंदिर, रेड़ाणा रण इत्यादी को देश–विदेश में पहचान मिलेगी।
- हवाई सुवधाओं की सहज उपलब्धता से वेडिंग पर्यटन (Wedding Tourism) को बढ़ावा मिलेगा।

| क्र. स. | प्रत्यक्ष लाभ | अप्रत्यक्ष लाभ |
|---|---|---|
| 1 | स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर मिलेगें। | इस परियोजना से गांव के बुनियादी ढॉचे का विकास होगा। |
| 2 | छोटे बड़े व्यवसाय के अवसर मिलेंगें। पवन एवं सौर ऊर्जा क्षैत्र में निवेश बढेगा। | आबादी क्षैत्र का विस्तार होगा। |
| 3 | हवाई परिवहन के विकास से लोगों को आवागमन के बेहतर साधन उपलब्ध होगें। | गांव में जमीन के भावों में अभिवृद्वि होगी। |
| 4 | पर्यटन (फिल्मी, वेडिंग एवं विदेशी पर्यटकों) को भी बढ़ावा मिलेगा। | परियोजना के संचालन से अन्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार होगा। |
| 5 | हवाई अड्डा के विस्तार से क्षमता, अधिक कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में वृद्वि होती है। | विमानन गतिविधि में वृद्वि से सकल घरेलू उत्पादन में वृद्वि होती है। यह सम्बन्ध सुदूर क्षैत्रों के लिये अधिक मजबूत और सुविकसित क्षैत्रों की तुलना में गरीब क्षैत्रों के लिए अधिक मजबूत प्रतीत होता है। |

अधिनियम की धारा–7 की उप धारा (1) के अनुसरण में परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में तैयार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन हेतु एक स्वतन्त्र बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया जाना आवश्यक है। जिसके अनुसरण में कार्यालय शासन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प. 2(2)नाउ/2018/जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा स्वतन्त्र बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह (**Muli-disciplinary Expert Group**) का गठन निम्नानुसार किया है:–

| क्र. स. | **भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 7 एवं राजस्थान भूमि अवाप्ति नियम, 2016 के अनुसार** | **नाम सदस्य** |
|---|---|---|
| 1 | दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी | 1. श्री कैलाशनाथ व्यास रिटायर्ड प्रोफेसर विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र जय नारायण व्यास विश्विद्यालय, जोधपुर निवासी भानावतो की गली, जालप मौहल्ला, जोधपुर।<br>2. डॉ0 बंशीघर तातेड़ रिटायर्ड कॉलेज व्याख्यता, राजकीय स्तानकोतर महाविद्यालय, बाड़मेर निवासी बाड़मेर जिला बाड़मेर। |
| 2 | यथा स्थिति ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर परिषद् के दो प्रतिनिधि | 1. श्रीमती रूपल परमार संरपच ग्राम पंचायत आदर्श ढूण्ढा पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण।<br>2. श्री देवीलाल जाणी, संरपत ग्राम पंचायत कुड़ला पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण।<br>3. श्री जोगेंन्द्र कुमार सरपंच ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा, पंचायत समिति, बाड़मेर ग्रामीण |
| 3 | पुनर्व्यवस्थापन संबंधित दो विशेषज्ञ | 1. श्री खेताराम, रिटायर्ड तहसीलदार निवासी गांधी नगर बाड़मेर।<br>2. श्री भीमाराम सुथार रिटायर्ड नायब तहसीलदार, निवासी बाड़मेर जिला बाड़मेर। |
| 4 | परियोजना से संबंधित एक तकनीकी विशेषज्ञ | 1. श्री सुराराम, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बाड़मेर। (समूह का अध्यक्ष) |

अधिनियम की धारा–7 के अंतर्गत गठित स्वतंत्र बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह (**Muli-disciplinary Expert Group**) द्वारा उक्त सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन कर परियोजना के निर्माण के संबंध में अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना है। इसके लिऐ प्राधिकृत अधिकारी, भूमि अवाप्ति (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर द्वारा बैठक सूचना का नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/2025/1926–1936 दिनांक 30.06.2025

को जारी किया गया। उक्त पत्र की पालना में बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह (**Muli-disciplinary Expert Group**) की बैठक दिनांक 08.07.2025 को उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर में आयोजित हुई। बैठक में परियोजना से होने वाले लाभो एवं क्षैत्र की जानकारी समूह के समक्ष रखी गई। इस बैठक में उपरोक्त आदेशानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का मूल्यांकन किया गया कि यह प्रतिवेदन राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के मानकों के अनुरूप पाया गया है।

**उतरलाई (बाड़मेर) पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण के लिए आवश्यक भूमि गांव चकलाणी, लालाणियों की ढ़ाणी एवं बेरीवाला गांव की भूमि का अधिग्रहण पर निष्कर्ष एवं अनुशंसाः–**

उतरलाई (बाड़मेर) हवाई अड्डा के नवीन सिविल एन्क्लेव निर्माण के अन्तर्गत ग्राम चकलाणी की कुल **20.2342** हैक्टयर एवं अप्रोच रोड़ के लिये ग्राम चकलाणी, लालाणियों की ढ़ाणी एवं बेरीवाला गांव की कुल 5.2443 हैक्टयर कुल 25.4785 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। उतरलाई (बाड़मेर) हवाई अड्डा की आवश्यकतानुसार एवं मौजूद विभिन्न फैक्टर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया है। सामाजिक समाघात प्रभाव निर्धारण अध्ययन अन्तर्गत प्रस्तावित उतरलाई (बाड़मेर) हवाई अड्डा के नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड निर्माण में प्रभावित भू–स्वामियों को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत् उनको उचित मुआवजा व सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं से सहयोग की सिफारिश की जाती है। नियम 10 के अधीन बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं सामाजिक समाधात प्रबन्धक योजना रिपोर्ट (एस.आई.ए. एवं एस.आई.एम. पी रिपोर्ट) को अनुमोदित कर लागू करने की अभिशंसा की जाती है।

श्री सुराराम, अधीक्षण अभियंता
(तकनीकी विशेषज्ञ), अध्यक्ष

श्री कैलाशनाथ व्यास
(सामाजिक विज्ञानी), सदस्य

( डॉ0 बंशीघर तातेड )
(सामाजिक विज्ञानी), सदस्य

श्री खेताराम
(पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ),सदस्य

श्री भीमाराम सुथार
(पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ),सदस्य

श्रीमती रूपल परमार
(सरपंच ग्राम पंचायत आर्दश ढूण्ढा), सदस्य

श्री देवीलाल जाणी
(सरपंच ग्राम पंचायत कूड़ला),सदस्य

श्री जोगेन्द्र कुमार
(सरपंच ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा), सदस्य

उतरलाई एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं अप्रोच रोड़ निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण हेतु सामाजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन पर मूल्यांकन हेतु बहुशाखीय समूह की उपस्थिति का उपस्थिति प्रतिवेदन दिनांक 08.07.2025

| क्र. स. | बहुशाखीय ग्रुप के सदस्य का नाम एवं पद | मोबाईल नंबर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Kailash Nath Vyas (Rtd) Prof & Head JNVU Jodhpur | 9414133366 | |
| 2 | डॉ. बी. डी. [illegible] [illegible] - [illegible] | 9413522640 | |
| 3 | खेराराम अधीक्षक अभियंता सा.नि.वि. | 9414384202 | |
| 4 | भीमाराम सुथार सेवा निवृत नायब तहसीलदार | 9413490881 | |
| 5 | जोगेन्द्र के प्रतिनिधि देवाराम सरपंच बाड़मेर मगरा | 9414493357 | |
| 6 | श्रीराम पटवारी बाड़मेर मगरा | 9530267701 | |
| 7 | गौतम कुमावत पटवारी [illegible] | 9982768078 | |
| 8 | देवाराम जाणी सरपंच कुड़ी MT | 9928343221 | |
| 9 | कमल परमार के प्रतिनिधि सोहन परमार | 9829151366 | |
| 10 | खेताराम खारवा सेवा निवृत तहसीलदार | 9460015607 | |

# बहु आयामी विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट

**भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7(4) व (5) तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम, 11**

**एक्सपर्ट समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट**

- यह परियोजना सार्वजनिक उदेश्यों को पूरा करती है।
- इस परियोजना के अन्तर्गत किये गये एस.आई.ए. से ज्ञात होता है कि क्षैत्र में नकारात्मक प्रभावों की तुलना में सकारात्मक प्रभाव अधिक है।
- सार्वजनिक संरचनाऐं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं देव स्थान/मंदिर आदि की वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था कर पुनर्स्थापित कराये जाने की सुनिश्चितता कराई जावें।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति का मुआवजा राशि नियमानुसार एक्ट के प्रावधानों अनुसार उचित प्रतिकर दिये जाने हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग अनुसार दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।
- जिन परिवारों की सम्पूर्ण भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है उनके एक सदस्य को योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जावे।
- उक्त परियोजना में मुआवजा निर्धारित एक समान उच्चतम दर पर निर्धारित किया जाना चाहिऐ जिससे किसानों के हित में तर्क संगत निर्णय हो सकें।
- जिन किसानों के खसरों की 90 प्रतिशत भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है उनकी शेष भूमि को भी अवाप्त किया जाना उचित रहेगा क्योंकि शेष भूमि किसान के लिए उपयोगी नहीं रहेगी।
- हवाई अड्डा के चारों तरफ अवाप्त भूमि में से आवागमन हेतु सड़क बना कर दी जावें।
- भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के अनुसार भूमि अवाप्ति से विस्थापित परिवारों को इनटाईटलमेंट के अनुसार राहत प्रदान कराई जानी चाहियें।

अतः उक्त आधार पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा चकलाणी, लालाणियों की ढ़ाणी एवं बेरीवाला गांव की 25.4786 हैक्टयर निजी भूमि को अवाप्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

श्री सुराराम, अधीक्षण अभियंता
(तकनीकी विशेषज्ञ), अध्यक्ष

श्री कैलाशनाथ व्यास
(सामाजिक विज्ञानी), सदस्य

डॉ0 बंशीघर तातेड
(सामाजिक विज्ञानी), सदस्य

श्री खेताराम
(पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ),सदस्य

श्री भीमाराम सुथार
(पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ),सदस्य

श्रीमती रूपल परमार
(सरपंच ग्राम पंचायत आर्दश ढूण्ढा), सदस्य

श्री देवीलाल जाणी
(सरपंच ग्राम पंचायत कूड़ला),सदस्य

श्री जोगेन्द्र कुमार
(सरपंच ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा), सदस्य

सामाजिक समाघात आंकलन (एस. आई. ए) अंतिम प्रतिवेदन ग्राम पंचायत कुड़ला के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया।

[signature]

[signature]
प्र० कुडला

सामाजिक समावात आकंलन (एस.आई.ए) अंतिम प्रतिवेदन
ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा के नोटिस
बोर्ड पर चस्पा किया गया।

प्रकाश
सायंक्रम अधिकारी

सामाजिक संपरीक्षा अंकेक्षण (एस.आर.ए) अंतिम प्रतिवेदन ग्राम पंचायत आदर्श दुरुवा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
प्रधान

राजस्थान–सरकार

# कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर

क्रमांकः–भूमि अवाप्ति/2025/34 दिनांकः– 10/02/2025

प्रेषित–

**श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (नोडल अधिकारी) महोदय**
**बाड़मेर।**

विषय–उत्तरलाई एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं एप्रोच रोड़ निर्माण के लिए 25.4785 हैक्टेयर निजी खातेदारों की भूमि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण हेतु भूमि अधिग्रहण के कम में सामाजिक समाघात आंकलन (एस.आई.ए.) का अंतिम प्रतिवेदन/ अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उत्तरलाई एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव एवं एप्रोच रोड़ निर्माण हेतु 25.4785 हैक्टेयर भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध करवाने हेतु अवाप्त किया जाना हैं। उक्त भूमि अवाप्ति के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2016 की धारा 8(2) के तहत अग्रिम कार्यवाही करवाने बाबत् सामाजिक समाघात आंकलन की अंतिम रिपोर्ट/अध्ययन रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान्जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(वीरमा राम)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांकः–भूमि अवाप्ति/2025/35-36 दिनांकः– 10/02/2025

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
बाड़मेर

# सामाजिक समाघात आकलन (एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन

**(राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, (2016)**

**(Rajasthan Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Rules, 2016)**

**प्रस्तुतः**

## कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर, राजस्थान सरकार

**सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सीः**

**प्रभु फाउण्डेशन, जयपुर**

904 रूबी, अरबाना ज्वैल्स, मुहाना मंडी टर्मिनल गेट 1 के पास, सांगानेर, जयपुर

सम्पर्क सूत्रः 0141–6764614, 9414046348

Email ID: prabhufoundation05@gmail.com

# आमुख

सामाजिक समाघात आकलन का अध्ययन (एस.आई.ए.) किसी भी ढाँचागत विकास से प्रभावित होने वाले परिवार/गांव व क्षेत्र का किया जाता है। अध्ययन के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि क्षेत्र में रह रहे परिवार एवं जनसंख्या पर विकास कार्य के सकारात्मक या नकारात्मक एवं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार के होंगे। सामाजिक समाघात अध्ययन के अन्तर्गत प्रभावित लोगों की भागीदारी एवं उनसे चर्चाएँ कर उन पर पड़ने वाले प्रभाव व उनके विचार यह जानने के प्रयास किये जाते हैं किन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाये जायें या उनको समय पर ही कम किया जा सके। साथ साथ सामाजिक समाघात अध्ययन के दौरान ग्राम बैठकों के माध्यम से स्थानीय लागों के सुझाव एवं राय जानने का प्रयास किया जाता है। क्षतिपूर्ति हेतु अध्ययन से प्राप्त सूचनाएँ एवं सुझाव सरकार को राहत या शमन योजना बनाने में सहायता प्रदान करते हैं।

उत्तरलाई (बाड़मेर) एयरपोर्ट पर भविष्य में यातायात वृद्धि को पूरा करने के लिए ए–320 प्रकार के विमान संचालन की आवश्यकता के दृष्टिगत नवीन स्थायी सिविल एनक्लेव की स्थापना के लिए 50 एकड़ तथा सिविल एन्क्लेव हेतु प्रस्तावित भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग 68 से जोड़ने के लिए आवश्यक 18.29 एकड़ कुल 68.29 एकड़ निःशुल्क भूमि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई है। इस हेतु 3.1156 हैक्टेयर निजी खातेदारी की भूमि अवाप्ति की जानी प्रस्तावित है। कुल 3.1156 हैक्टेयर भूमि में 222 प्रभावित खातेदार हैं। जिन पर इस भू अवाप्ति से होने वाले प्रभावों का अध्ययन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

सामाजिक समाघात आकलन का (एस.आई.ए.) अध्ययन ऐसे सुधारों को बढ़ावा देता है, जो लोगों के बेहतर विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के दौरान विभिन्न वर्ग के लोग अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन के द्वारा हम आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के पहले, निर्माण के दौरान व निर्माण के पश्चात् विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। सामाजिक समाघात शमन योजना (SIMP) बनाकर प्रभावित लागों के लिए समाघात निवारण योजना बनाते हैं। सामाजिक प्रभाव का आकलन विभागों को बेहतर योजना बनाने, और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने और उचित पैमाने पर कार्य करने हेतु पहल करने में सहायता करता है एवं उनमें स्थानीय जनता/लोगों की भी सहमति होती है।

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अध्याय के अनुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारित मूल्यांकन का संचालन करना है, जो विभाग द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नियम, 2016 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार है। राजस्व विभाग (राजस्थान सरकार) का पत्रांक No. F. 1(3) Rev. 6/2011/pt./02 dated 12/01/2016 द्वारा इसे लागू किया गया है।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर, राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन कार्य के लिए प्रभु फाउण्डेशन, जयपुर को जिम्मेदारी दी गई है। संस्था द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन का कार्य पूर्ण विधा से किया गया है। सामाजिक समाघात अध्ययन करने के पश्चात् विभाग को ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। यह सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट पूर्ण रूप से उन भू–स्वामियों की जिनकी भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहण करनी है उन पर होने वाले सामाजिक समाघात आकलन का वर्णन है ताकि उनको योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों अनुसार प्रभावित खातेदारों का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जा सके व उनको उचित मुआवजा मिल सके।

10 फरवरी, 2025

(रामयश चौबे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रभु फाउण्डेशन

# विषय सूची


| अध्याय | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| I | आमुख | 2-3 |
| II | विषय सूची | 4 |
| 1 | कार्यकारी सारांश | 5-9 |
| 2 | परियोजना विवरण | 10-13 |
| 3 | टीम की संरचना, दृष्टिकोण एवं विधि | 14-24 |
| 4 | भूमि की आवश्यकता एवं आकलन (LandAssessment) | 25-26 |
| 5 | प्रभावित परिवारों एवं परिसम्पत्तियों का आकलन | 27-31 |
| 6 | प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति | 32-34 |
| 7 | सामाजिक समाघात आकलन | 35-37 |
| 8 | भूमि अधिग्रहण पर लाभ एवं सिफारिश | 38-41 |
| 9 | सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) | 42-51 |
| 10 | जन–सुनवाई | 52-55 |
| **संलग्नक** | | |
| 11 | कार्य का कार्यालय आदेश | |
| 12 | प्रभावित खातेदारों की सूची | |
| 13 | ज्न–सुनवाई की बैठक कार्यवाही का विवरण | |

# अध्याय –1
# कार्यकारी सारांश

## 1.1 पृष्ठभूमि

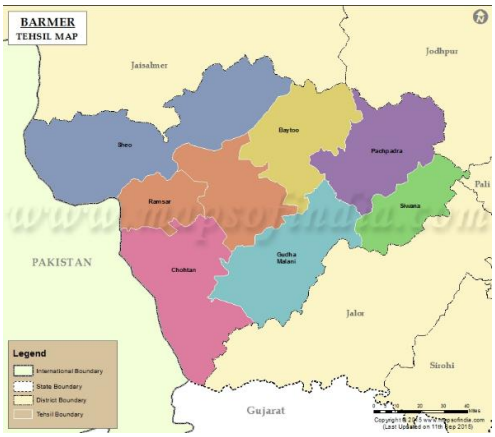


उपरोक्त परियोजना की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करने के पश्चात् 62.43 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी। कुल 62.43 भूमि में से 62.96 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर, राजस्थान सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में भूमि संबंधी सभी गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 और नियम, 2016 के अनुसार, उपरोक्त परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) करने के लिए कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र भूमि अवाप्ति/2024/142 दिनांक 09.12.2024 के माध्यम से प्रभु फाउंडेशन, जयपुर को एसआई एजेंसी नियुक्त किया गया है।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि समस्त बारानी है। अर्थात उनके पास कृषि करने के लिये कोई सिंचाई साधन जैसे कुआं व ट्यूबवैल इत्यादि नहीं हैं। खातेदारों से संज्ञान लेने पर यह भी ज्ञात हुआ की इस भूमि पर भूमिगत जल की उपलब्धता नग्नय है। अतः कृषिहर आय भी बहुत ही कम है और अन्य रोजगार के अवसरों पर निर्भर हैं। उत्तरलाई एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार हेतु प्रस्तावित इस परियोजना से मिलने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार साधनों की उपलब्धता की महत्ता को देखते हुए बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन ग्राम चकलानी, लालाणियों की ढाणी तथा बेरीवाला गांव में **25.4785** हेक्टर भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।

### 1.2 भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य

इस परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

#### 1.2.1 मूलभूत उद्देश्य

- परियोजना का मूलभूत उद्देश्य सुगम हवाई व्यवस्था सुनिश्चित कर बाड़मेर में कार्यरत अनेक देशी–विदेशी कंपनियों का संपर्क बाहरी दुनिया से स्थापित करना है। वर्तमान में हवाई सेवाओं का उपयोग करने हेतु जोधपुर एवं जैसलमेर में जाना पड़ता है। इस हेतु एयरपोर्ट के निर्माण से लोगों को हवाई सफर में मदद मिलेगी।
- बाड़मेर में कार्यरत अनेक देशी–विदेशी कंपनियों में हजारों इंजीनियर एवं अधिकारी कार्य कर रहे हैं। रिफाइनरी का भी पचपदरा में निर्माण चल रहा है। इसके अलावा तेल, गैस, कोयला एवं सोलर एनर्जी

में भी कई कंपनियां कार्य कर रही हैं। आर्मी, एयरफोर्स एवं बीएसएफ भी यहां तैनात हैं। बाड़मेर से रोजाना सैंकड़ों की संख्या में लोगों का देशभर में आना–जाना रहता है।

### 1.2.2 मौलिक उद्देश्य

- प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार के साधनों के विकास के नवीन आयामों को विकसित करना जैसे– वैन्डर्स, कारीगर व मिस्त्री, वाहन चालक, मजदूर, दक्ष मानवीय साधन इत्यादि।
- आधारभूत संरचनाओं के विकास के नये क्षत्रों को विकसित करना जैसे सड़क, शोपिंग माल इत्यादि।
- उद्योगों व कलकारखानों के विकास के लिये उद्यमियों को आकर्षित करना। सुगम हवाई यातायात के होने से देश–विदेश के उद्यमी बाड़मेर में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित होंगे, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

## 1.3 परियोजना के लाभ

इस परियोजना के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

- एयरपोर्ट के प्रारंभ होने के बाद खातेदारों व ग्रामीणों को एयरपोर्ट के विभिन्न कार्यों में मजदूरी तथा योग्यता के अनुसार अन्य रोजगार के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे।
- एयरपोर्ट के प्रारंभ होने के बाद एयरपोर्ट से आवागमन के भी पर्याप्त अवसर होंगे जिससे खातेदारों व ग्रामीणों को ड्राइवर व यातायात के क्षेत्र मे रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे।
- एयरपोर्ट के प्रारंभ होने के बाद एयरपोर्ट में कार्यरत कार्मिकों के निवास करने से घरेलू सामग्री की दुकानों एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे ।
- एयरपोर्ट के प्रारंभ होने के बाद एयरपोर्ट में कार्यरत कार्मिकों के निवास करने से घरेलू कार्यों में कार्यरत कारीगरों, मिस्त्रियों, घरेलू कार्यकर्त्तो व अन्य कार्यों के क्षेत्र मे रोजगार के पर्याप्त मिलेंगे
- एयरपोर्ट के प्रारंभ होने के बाद तीनों ग्रामों में आधारभूत ढ़ाचों जैसे– सड़क, दुकानें, सरकारी व गैर सरकारी भवनों के निमार्ण के अवसर भी बढ़ेंगे।
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी के सीएसआर फंड के तहत इन तीनों गांवों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ अन्य आधारभूत ढांचाओं का भी विकास होगा।

## 1.4 परियोजना के तहत भू–अवाप्ति से भू–स्वामियों को हानि

इस परियोजना के मुख्य हानियां निम्नानुसार हैं:

- नियोजित जीवन प्रभावित होगा।
- किसानों को नयी भूमि खरीदने के लिये प्रबंधंन संबंधि व कृषि संबंधि मुद्दों पर पर्याप्त विचार विमर्श का अभाव।
- अल्प समय के लिए जीवन यापन की चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है।

## 1.5 सामाजिक समाघात अध्ययन के उद्देश्य

सामाजिक समाघात अध्ययन(एस.आई.ए.) के उद्देश्य निम्न है:

- सामाजिक समाघात अध्ययन का उद्देश्य है गांव में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का आकलन करना।
- प्रभावित परिवारों की संख्या, भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों के अवाप्ति का परिमाण एवं परिवारों की संख्या जिनके भौतिक या व्यावसायिक रुप से विस्थापित होने की संभावना है का अनुमान लगाना।
- प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से सार्वजनिक और निजी घरों/बस्तियों और अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों के प्रभावित होने की सम्भावना का आकलन करना।
- क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा प्रस्तावित परियोजना हेतु न्यूनतम आवश्यकता है की जाँच करना।
- यह पता लगाना कि क्या प्रस्तावित परियोजना हेतु किसी वैकल्पिक स्थल पर विचार किया गया है जहाँ कम से कम विस्थापित की समस्या है, लेकिन स्थान ही परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है।
- प्रत्यक्ष रुप से भूमि खोने वाले परिवारों एवं सार्वजनिक सम्पत्ति एवं सामाजिक एवं आर्थिक ढ़ांचे के नुकसान से अप्रत्यक्ष रुप में प्रभावित परिवारों को शामिल कर परियोजना के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना।
- एक सामाजिक प्रभाव प्रबन्धन योजना या शमन योजना के डिजाईन के माध्यम से उचित नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाईन करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना।

### 1.6 सामाजिक समाघात अध्ययन अध्ययन की पद्धति

सामाजिक समाघात अध्ययन अध्ययन में क्रॉस सेक्शनल अध्ययन डिजाईन लागू किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर मिश्रित विधि का उपयोग किया गया जिसमें गुणात्मक एवं संख्यात्मक अनुसंधान विधि दोनों को शामिल किया गया। इस अध्ययन में निम्नलिखित कार्य संपन्न किये गये हैं।

#### 1.6.1 प्राथमिक डेटा संग्रह

- तहसील से खातादारों की सूची का सत्यापन
- तहसील से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की भौगोलिक स्थिति की जानकारी
- तहसील से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की प्रकृति जैसे– सिंचित व असिंचित, बरानी इत्यादि

#### 1.6.2 सर्वेक्षण

- परियोजना क्षेत्र में प्रभावित लोगों के साथ पी.आर.ए. (इतिहास, सामाजिक और संसाधन मानचित्रण, चपाती चित्रण एवं मौसमी कैलेन्डर) के माध्यम से ग्रामवासियों की भागीदारी को बढ़ाना एवं गांव की सूचनाएँ तैयार करना।
- अधिग्रहण की जाने वाली समस्त भूमि का अवलोकन व आंकलन
- सभी खातेदारों का खसरा व भूमि से संबंधित सर्वेक्षण
- सभी खातेदारों का भूमि के अधिग्रहण से होने कृषि कार्यों, बागवानी कार्यों, रोजगार कार्यों, पशुपालन कार्यों इत्यादि का सर्वेक्षण
- सभी खातेदारों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण

- सभी खातेदारों पर भूमि अधिग्रहण करने से पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन

### 1.6.3 चर्चाएं व विचार विमर्श

- अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों से चर्चाऍं/साक्षात्कार कर सूचना संकलन करना।
- प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित गांवों के ग्रामवासियों से भिन्न –भिन्न समूहों में चर्चाएं कर परियोजना के प्रभावों जानकारी लेना एवं लिपिबद्ध करना।

## 1.7 सामाजिक समाघात अध्ययन अध्ययन से प्राप्त जानकारी/ निष्कर्ष

सामाजिक समाघात अध्ययन के दौरान ग्राम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें लोगों का कहना है कि इस एयरपोर्ट की स्थापना के बाद ग्राम में रोजगार के साधनों का विकास होगा ही, अतः हमें यदि राज्य सरकार उचित मुआवजा व रोजगार की गारंटी दे तो हम इस भूमि को देने के लिये तैयार हैं। साथ ही प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्ययोजना बनाकर पुनर्स्थापना में सहयोग करावे। सामाजिक समाघात अध्ययन के दौरान प्रभावित भू–स्वामियों की भूमि अवाप्ति को लेकर प्रमुख मांगे निम्न है।

**तालिका : 1.7.1**
**भू–स्वामियों द्वारा दिये गये सुझाव एवं शर्तें**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा दिये गये सुझाव एवं शर्तें |
|---|---|---|
| 1 | चकलानी | ▪ परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अधिकतर परिवार राजपूत हैं। इस भूमि के अवाप्त होने के बाद यह आर्थिक संकट गहरा जायगा। अतः सरकार हमारे लिये रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये व साथ आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और बैंक लोन व अन्य तकनिकी सुविधायें उपलब्ध करवाये ताकि हमें जीवन यापन करने में सहुलियत हो जावे।<br>▪ प्रभावित किसान को मुआवजे के रूप में एक अच्छी कीमत दी जाये, ताकि वह किसान अन्यत्र स्थान पर खेती योग्य जमीन खरीद सकें।<br>▪ राज्य सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट में प्रभावित खातेदारों के परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जावे। ताकि प्रभावित परिवार जीविकोपार्जन आसानी से करते रहें एवं तकनीकी योग्यता रखने वाले लोगों को एयरपोर्ट में रोजगार दिया जावे।<br>▪ प्रभावित किसानों के परिवारों को स्वास्थ्य योजना, खाद्य सुरक्षा योजना व सरकार की अन्य योजनाओं जैसे उद्यमी विकास स्टार्टअप का लाभ दिया जाये।<br>▪ खातेदारों की मांग है कि मुआवजा वर्तमान बाजार भाव से मुआवजा दिया जावे एवं एक मुश्त राशि दी जावे। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ▪ जो भी भूमि अधिग्रहण की जा रही है सभी भूमि का मुआवजा बाजार भाव के हिसाब से ही दिया जावे।<br>▪ जो भू–स्वामी भूमिहीन हो जायेंगे उन्हे विशेष योजना बनाकर पुर्नस्थापना की व्यवस्था कराई जावे। |

## 1.8 अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का ग्रामानुसार विवरण

**तालिका : 1.8.1**
**अवाप्ति भूमि का ग्रामवार विवरण**

| प्रभावित खाताधारक संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **ग्राम** | **तहसील का नाम** | **अवाप्ति हेतु कुल प्रस्तावित खसरा संख्या** | **अवाप्ति हेतु प्रस्तावित निजी भूमि (हेक्टर)** | **विशेष विवरण** |
| 1 | चकलानी | बाड़मेर ग्रामीण | 09 | 22.5327 | उक्त परियोजना में कोई भी कच्ची/पक्की संरचना प्रभावित नहीं हो रही है। |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | | 03 | 0.2024 | |
| 3 | बेरीवाला गांव | | 13 | 2.7434 | |
| **कुल** | | | **25** | **25.4785** | |

# अध्याय– 2
# परियोजना विवरण

## 2.1 उत्तरलाई एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार हेतु प्रस्तावित परियोजना की पृष्ठभूमि

उत्तरलाई (बाड़मेर) में प्रस्तावित नवीन सिविल एनक्लेव एवं नवीन सिविल एनक्लेव को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 से जोड़ने हेतु एप्रोच रोड निर्माण हेतु 25.4785 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

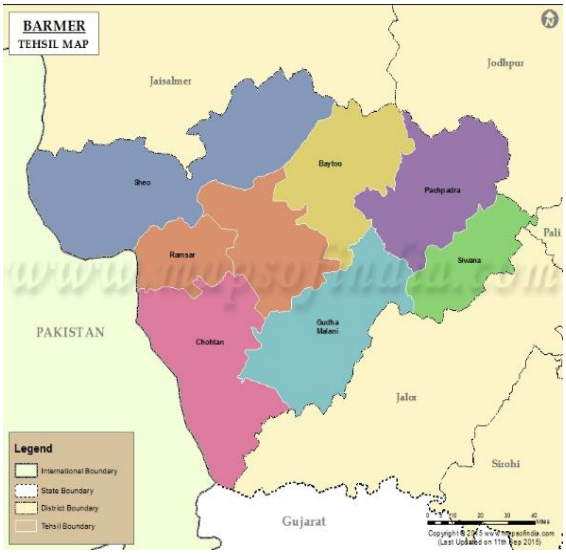


भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और नियम, 2016 के अनुसार, उपरोक्त परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) करने के लिए कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर, राजस्थान सरकार द्वारा प्रभु फाउंडेशन, जयपुर को एसआई एजेंसी नियुक्त किया गया है।

खातेदारों के पास औसत अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल 25.4785 हैक्टर है जो की पूर्णरुप से बरानी है। अतः कृषि से आय न्यूनतम ही है। अतः खातेदार खुली मजदूरी और पशुपालन के साथ अन्य खेतीहर भूमि पर कृषि कार्य पर ही निर्भर है।

## 2.2 परियोजना का स्थान

इस परियोजना के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु ग्राम उत्तरलाई (बाड़मेर) में बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन राजस्व ग्राम चकलानी, लालाणियों की ढाणी एवं बेरीवाला गांव का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ हिस्सा राजकीय भूमि का भी अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है, जो कि इस सामाजिक समाघात अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है।

## 2.3 परियोजना के निर्माण से उत्पन्न संभावित चुनौतियां

- परियोजना में भू अवाप्ति से खातेदारों के पास वर्तमान खेतीहर जमीन है वह कम हो जायेगी।
- परियोजना क्षेत्र में छोटे किसान जिनकी भूमि कम है उनके सामने ज्यादा चुनौतियां रहेगी।
- कृषिहर आय न्यूनतम है और इस अधिग्रहण के बाद यह आय और कम हो जावेंगी अतः जीवन यापन वर्तमान से भी ज्यादा कठिन हो जावेगा।
- प्रभावित भू–स्वामियों का यह मानना है कि जब खेत की भूमि कम होने पर बरानी फसल की मात्रा और कम हो जाने से वर्षाकाल में अन्य रोजगार के साधनों पर निर्भरता चुनौती पूर्ण कार्य होगा।

## 2.4 सामाजिक समाघात अध्ययन और प्रबन्धन शमन योजना प्रक्रिया

भू–अर्जन अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है कि सरकार या निजी क्षेत्र में किसी भी विकास के कार्य हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत किया जा सकेगा। सरकार का यह भी मानना है कि भूमि अवाप्ति भू–स्वामियों से सलाह मशविरा, उनकी राय/सहमति से किया जाना चाहिये। इसी क्रम में अधिनियम/नियम के अनुसार विकास परियोजना में प्रभावित हो रहे भू–स्वामी/किसानों के साथ चर्चा कर उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर जानना एवं उन्हे प्रस्तावित कार्य/योजना में कितनी एवं किस प्रकार की क्षति (समाघात) हो रही है का आकलन कर प्रभावित लोगों की सहभागिता से क्षतिपूर्ति /मुआवजा हेतु कार्यवाही कराना है। सामाजिक समाघात अध्ययन के अन्तर्गत परियोजना विस्तार कार्य से प्रभावित लोगों, समुदाय से विभिन्न स्तरों पर चर्चाएँ करना एवं प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर सरकार/सम्बन्धित विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

प्रतिकूल प्रभावों के लिए क्षतिपूर्ति कम करने के लिए और दूसरे स्थान पर विस्थापन से बचने के लिए एक राहत योजना का विकास करना है। सामाजिक समाघात अध्ययन का प्रमुख योगदान किसी प्रस्तावित परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नकारात्मक प्रभावों को कम करना एवं किसी भी सकारात्मक चीजों को बढ़ाने की योजना के प्रबन्धन संचालन करने में मदद करना है। प्रभावी सामाजिक समाघात अध्ययन और एस. आई. एम. पी. परियोजना के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की पहचान सार्वजनिक/सामुदायिक परामर्श, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए कानूनी पात्रता नीति में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (Rehabilitation & Resettlement)का विवरण है।

## 2.5 अध्ययन का उद्देश्य

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अध्याय –III के धारा 6 और 7 के अनुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारित मूल्यांकन का संचालन करना है, जो विभाग द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नियम, 2016 में उचितप्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार है। राजस्व विभाग (राजस्थान सरकार) का पत्रांक No. F. 1(3) Rev. 6/2011/pt./02 dated 12/01/2016 द्वारा इसे लागू किया गया है।

## 2.6 सामाजिक समाघात आकलन (एस.आई.ए.) अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैः

- क्या उक्त गांवों में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का आंकलन करना।
- प्रभावित परिवारों की संख्या, भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों के अवाप्ति का परिमाण एवं परिवारों की संख्या जिनके भौतिक या व्यावसायिक रुप से विस्थापित होने की संभावना है का अनुमान लगाना।
- प्रस्तावित अधिग्रहण से भूमि–सार्वजनिक और निजी घरों/बस्तियों और अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों के प्रभावित होने की सम्भावना का आकलन करना।
- क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा प्रस्तावित परियोजना हेतु (के लिए) न्यूनतम आवश्यकता है की जाँच करना।

- प्रत्यक्ष रुप से भूमि खोने वाले परिवारों एवं सार्वजनिक सम्पत्ति एवं सामाजिक एवं आर्थिक ढ़ांचे के नुकसान से अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों को शामिल कर परियोजना के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना।
- एक सामाजिक प्रभाव प्रबन्धन योजना या शमन योजना के डिजाईन के माध्यम से उचित नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाईन करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना।

### 2.7 सामाजिक समाघात आंकलन की अध्ययन प्रक्रिया

सामाजिक समाघात आंकलन का अध्ययन परियोजना नियोजन चरण में किया जाता है। यह अध्ययन की प्रक्रिया को समझने में सहयोग प्रदान करता है।

- परियोजना और उसके प्रभाव के बारे में प्रभावित लोगों की धारणाओं के बारे में जानकारी।
- प्रभाव को कम करने के लिए संभावित उपाय करने की जानकारी।
- परियोजना क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में आधारभूत जानकारी।
- परियोजना के सम्भावित प्रभावों, परिणाम, वितरण और उनकी अवधि की विशेषता पर जानकारी।
- राहत उपायों को लागू करने की लिए संस्थागत क्षमता के बारे में जानकारी।

### 2.8 सामाजिक समाघात आंकलन के ग्राम की जानकरी

उत्तरलाई एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार हेतु यह परियोजना प्रस्तावित है। इस के लिये ग्राम उत्तरलाई (बाड़मेर) में बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन राजस्व ग्राम चकलानी, लालाणियों की ढाणी एवं बेरीवाला गांव का चयन किया गया है।

**तालिका 2.2 ग्राम की जनसंख्यात्मक जानकारी**

| गांव का नाम | गांव की जन संख्या प्रारुप (जनगणना 2011 के अनुसार) | |
|---|---|---|
| | कुल परिवार | कुल जनसंख्या |
| चकलानी | 141 | 808 |
| लालाणियों की ढाणी | 146 | 781 |
| बेरीवाला गांव | 193 | 1171 |
| कुल | 480 | 2760 |

### 2.9 परियोजना और सामाजिक समाघात आंकलन–

समूह बैठक एस.आई.ए. के दौरान बाड़मेर तहसील के तीन ग्राम चकलानी, लालाणियों की ढाणी एवं बेरीवाला गांव में दिनांक 11.12.24 से 29.12.24 तक समुदाय के लोगों के साथ अलग–अलग समूह में बैठकें एवं सामाजिक सर्वेक्षण किया गया। विभिन्न ग्राम बैठकों का आयोजन कर किसानों/ भू–स्वामी एवं गांव के अन्य लोगों के विचार जानने का प्रयास किया गया। बैठकों में यह भी प्रयास किया गया कि गांव के पंचायत जन प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, सी.आर. आंगनवाडी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक व पटवारी भी मौजूद रहें। बैठक

में किसान/ भू–स्वामी एवं गांव के अन्य लोग भी उपस्थित हुए। बैठकों में गांव के विकास एवं विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्राम बैठक में उपस्थित लोगों/भू– स्वामियों ने गांव के विकास को लेकर अपने अपने मत प्रस्तुत किये। चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि किसान/भू–स्वामी को जो भी क्षति होने वाली है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा मुआवजे की कार्यवाही करते हुए लोगों को आश्वस्त किया जाना चाहिये। लोगों को आश्वस्त करने से क्षेत्र में विकास कार्य करना सहज हो सकेंगे। क्षेत्र में प्रस्तावित योजना का फायदा भी लोगों को मिलेगा एवं सरकार जो भी भूमि आवाप्त करेगी एवं मुआवजा की कार्यवाही शीघ्र होगी। इस परियोजना हेतु ग्राम के अधिकांश लोगों की सहमति भी मिली है जिससे परियोजना कार्य के क्रियान्वयन की राह आसान हो सकेगी।

प्रभावित भू–स्वामियों के साथ प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बारे में गांव के 9 फोकस ग्रुप के साथ चर्चा की गई। चर्चा में यह समझने के प्रयास किये गये कि गांव के लोगों की आय एवं जीवन यापन के मुख्य आधार क्या हैं साथ ही यह भी प्रयास किये गये कि गांव /मोहल्लों में कहीं कोई विवादास्पद स्थिति तो नहीं है। इस परियोजना के प्रभावों को जानने के लिए छोटी–छोटी समूह बैठकें करने का निर्णय लिया गया जो समाज/गांव में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद या बाधा को समझने में सहायक होते हैं। गांव एवं लोगों के विचारों को जानकर उनके अनुसार रणनीतिबद्ध तरीके से कार्य नीति निर्माण किया गया। छोटे समूहों में चर्चा कर उन्हें अपनी बात कहने का अवसर भी दिया गया ताकि वे अपनी बात कह पाये।

### 2.10 कानून और नीतियाँ

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) ढ़ांचागत परियोजना (Infrastructural Project) एवं अन्य विकास कार्यों से होने वाले सामाजिक प्रभावों की समीक्षा करने की एक पद्धति है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) ढ़ांचागत परियोजना (Infrastructural Project) एवं अन्य विकास कार्यों से प्रभावित होने वाले लोगों/भू–स्वामियों के बारे में सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को जानना है। प्रभावित लोगों/भू–स्वामियों को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के अन्तर्गत राहत योजना तैयार कर राहत दिलाना है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का कानून प्रभावी है।

# अध्याय –3

# टीम की संरचना, दृष्टिकोण एवं विधि

## 3.1 टीम की संरचना, दृष्टिकोण एवं विधि

सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन में प्रथम दृष्टया यह भी ध्यान रखा गया कि भू–स्वामियों को कितनी क्षति हो रही है। इस परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सभी गांव वालों की आम राय किस प्रकार बन सकती है। प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य को ध्यान में रखते हुए यह भी ध्यान रखा गया कि कितने गांवों की कुल भूमि आवाप्त की जानी है तथा जमीन किस प्रकार की है। इस परियोजना से क्षेत्र में भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी संरचनाएं तो प्रभावित नहीं हो रही हैं।

किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु योजना निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन सबसे महत्त्वपूर्ण माना गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विशेषज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ, पार्टिसिपेट्री रुरल एपराइज्ल विशेषज्ञ एवं तकनीकी विशेषज्ञ दल का संस्थान स्तर पर गठन किया गया है।

संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन कार्य को रणनीतिबद्ध एवं योजनानुसार कार्य को गति प्रदान की गई। पार्टिसिपेट्री रुरल एपराइज्ल के माध्यम से लोगों से योजना एवं भू–अवाप्ति के संदर्भ में विचार जानने का प्रयास किया गया। ग्राम विकास को लेकर ग्राम समस्या एवं समाधान टूल के माध्यम से एक अभ्यास गांव के कुछ लोगों के साथ आरम्भ किया गया। लोगों की भागीदारी के साथ धीरे–धीरे संख्या भी बढ़ने लगी। पार्टिसिपेट्री रुरल एपराइज्ल अभ्यास के दौरान ग्राम स्तरीय मुद्दों पर लोगों द्वारा विचार रखे गये। परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन को लेकर आधे गांवों के लोगों का रवैया सकारात्मक ही है।

पार्टिसिपेट्री रुरल एपराइज्ल अभ्यास के दौरान हमारी समस्या हमारे समाधान के अन्तर्गत जन प्रेरणा का प्रयास किया गया। सभी उपस्थित ग्रामीण जन को पार्टिसिपेट्री रुरल एपराइज्ल अभ्यास से जुड़े रहने के लिए उत्प्रेरित किया गया। सभी उपस्थित ग्रामीण जन ने अपने अपने मत सुझाव के रुप में रखे। इस प्रक्रिया मे निम्न बिन्दुओं का उपयोग किया गया

- ग्राम इतिहास (Village History)
- सामाजिक मानचित्रण (Social Mapping)
- मौसमी चित्रण (Seasonality)
- बदलाव विश्लेषण (TrendAnalysis)

- वेन डायग्राम (Venn Diagram)
- समस्या और समाधान (Problem & solutions)

### 3.2 जानकारी एकत्रीकरण की प्रक्रिया

बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन राजस्व ग्राम चकलानी, लालाणियों की ढाणी एवं बेरीवाला गांव की भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक समाघात आकलन के दौरान ग्राम स्तरीय जानकारी एकत्र करने हेतु बैठक के लिए लोगों को सूचित किया गया। लोगों की राय से बैठक आयोजन हेतु स्थान चयन किया गया ताकि लोग बिना किसी रुकावट या आवरोध के एक स्थान पर एकत्र हो सके। परियोजना कार्य को लेकर सर्वेक्षण दल द्वारा दिनांक 20.12.2024 से 27.12.2024 तक सामाजिक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण दल के लिये इस परियोजना का सर्वे करना एक बडी चुनौती था। बैठक में इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बुनियादी सवालों के सन्दर्भ में समुदाय की राय, सुझावों को साझा कर लिपिबद्ध किया गया।

#### 3.2.1 परिचय सत्र :

बैठक का आरम्भ परिचय से हुआ जिसमें सर्वप्रथम सामाजिक समाघात अध्ययन दल के सदस्यों द्वारा परिचय दिया गया। ग्राम बैठक में उपस्थित ग्राम के लोगों ने अपना अपना परिचय दिया एवं इस परियोजना हेतु आवाप्त की जाने वाली भूमि के बारे बताते हुए कहा कि कुछ किसान/ भू–स्वामी ऐसे भी हैं जिनकी 40 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक जमीन आवाप्त की जा रही है, परंतु उसी ग्राम में उन्हीं भू–स्वामियों की अन्य खसरे में भी भूमि उपलब्ध है जो इस परियोजना से प्रभावित नहीं है। लोगों की समस्या निवारण हेतु कारगर योजना निर्माण कर प्रभावित भू–स्वामियों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये।

#### 3.2.2 खुला संवाद एवं सुझाव सत्र

बैठक में उपस्थित भू–स्वामी/लोगों को अपने मत रखने का अवसर प्रदान किया गया जो परियोजना कार्य से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इस सत्र का सीधा सीधा फायदा यह हुआ कि बिना किसी दबाव के एवं स्वेच्छा से अपने मन की बात रखी। उपस्थित किसानों/भू–स्वामियों ने मुआवजे हेतु मांग की एवं कार्य में सहयोग करने का आश्वासन भी दिलाया। कुछ गांवों के लोग मुआवजा राशि को लेकर असमंजस में हैं। प्रभावित भू स्वामियों का कहना है कि मुआवजा राशि कितनी मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी जैसे बहुत सारे सवाल उनके द्वारा किये गये। लोगों के विचारों को जानते हुए बताया गया कि यह (एस.आई.ए.) वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया का भाग है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् लोगों को समय पर एवं नियमानुसार उचित मुआवजा राशि दी जा सकेगी।

परियोजना प्रभावित ग्राम के कुछ लोगों द्वारा यह भी मुद्दा उठाया गया कि इस क्षेत्र में भूमि का स्वामित्व उनके पूर्वजों के नाम ही है तथा काफी समय से भूमि के नामांतरण पर रोक लगी है। किसी भी भू–अवाप्ति से पूर्व उनके द्वारा भूमि के नामांतरण पर लगी रोक को हटाने के संबंध में मांग की गई। इस संबंध में प्रभु फाउण्डेशन की टीम ने वहां के उपखण्ड अधिकारी से समन्वय कर उनसे यह आश्वासन दिलाया कि शीघ्र ही उन प्रभावित लोगों की इस समस्या का निवारण किया जाएगा।

### 3.3 सामाजिक समाघात आकलन की अध्ययन (एस.आइ.ए) प्रक्रिया

सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन के दौरान विषय विशेषज्ञों ने जन समुदाय/ग्रामीण जन को प्रेरित कर इस परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के बारे बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन राजस्व ग्रामों के प्रभावित भू–स्वामियों से राय जानी एवं सामाजिक तौर पर भू–स्वामी इस योजना से किस प्रकार एवं कितना प्रभावित होगा का भी आंकलन किया। जैसाकि राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016। उपरोक्त भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नियमानुसार उचित कार्यवाही करना चाहिये ताकि परियोजना कार्य को गति प्रदान की जा सके। प्रभावित किसान/भू–स्वामियों को उचित मुआवजा राशि मिल सके जिस पर लगभग सभी किसान/भू–स्वामी सहमत हैं।

**3.3.1 भू–स्वामी/ किसान और ग्रामीणों की भागीदारी एवं भूमिका** : सामाजिक समाधात अध्ययन के दौरान गांव के लोगों, महिलाओं, गणमान्य व्यक्तियों सभी से अलग अलग समूह में खुली चर्चा एवं संवाद किया गया। जैसा विदित है कि जिस किसी व्यक्ति, समाज, धरोहर को कितना क्षति हो रही है एवं किस स्तर तक क्षति का वहन किया जा सकता है या फिर इसकी भरपाई कितना किया जाना चाहिये जिससे कि प्रभावित भू–स्वामी को राहत/क्षतिपूर्ति की जा सके एवं उस पर वह कार्य करने की रजामन्दी प्रदान कर दे। बैठक में सभी उपस्थित किसानों, भू–स्वामियों और ग्रामीणों का सामाजिक व आर्थिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया गया। भूमि अधिग्रहण को लेकर लोगों ने अपनी राय प्रस्तुत की है जिसे लोगों की मांग/राय में सम्मिलित किया गया है।

### 3.4 सामाजिक समाघात अध्ययन एजेंसी का चयन

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक भूमि अवाप्ति/2024/142 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा परियोजना प्रभावित क्षेत्र में एस.आई.ए कार्य के लिए प्रभु फाउन्डेशन, जयपुर को चयन कर कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। चयनित एजेंसी द्वारा जिम्मेदार, विषय के जानकार एवं विषय विषेषज्ञ व्यक्तियों की एक टीम बनाई गई। उन्हें सूचनाओं के संग्रह का कार्य दिया गया। निम्न व्यक्तियों की सूची है जो सूचनाओं के संग्रह, सारणीकरण और तैयारी रिपोर्टो में शामिल थे। एस.आई.ए की आवयकता के मुताबिक, टीम के प्रत्येक सदस्य का अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है एवं विषय विषेषज्ञ हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक शोध अध्ययनों के अनुभव है और इससे पहले कई ऐसे अध्ययन में भी इनके द्वारा किए गए हैं।

| क्र.सं | सदस्य का नाम | शैक्षणिक योग्यता | विशेषता |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री हाकिम मांझी | ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धनमें स्नातकोत्तर | • प्रभावी सम्प्रेषण, एवं सम्प्रेषण विधाएँ<br>• पी.आर.ए./पी.एल.ए. विशेषज्ञ<br>• परियोजना निर्माण प्रबन्धन कार्य<br>• प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन कार्य |
| 2 | श्रीमती संगीता चौबे | सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (MSW) | |
| 3 | श्री पंकज भटनागर | स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) | |
| 4 | श्री विक्रम यादव | स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) | |
| 5 | श्रीमती संगीता रावत | सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (MSW) | • सामाजिक समाघात अध्ययन अनुभव<br>• पी.आर.ए. विशेषज्ञ<br>• सूचना संकलन |
| 6 | श्री देवेंद्र तिवारी | स्नातकोत्तर (कृषि विज्ञान) | • प्रभावी सम्प्रेषण, एवं सम्प्रेषण विधाएँ<br>• पी.आर.ए./पी.एल.ए. विशेषज्ञ<br>• परियोजना निर्माण प्रबन्धन कार्य |
| 7 | श्री महेन्द्र कलाल | सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (MSW) | • सामाजिक समाघात प्रभाव, फ्रेम वर्क एवं आकलन रिपोर्ट सम्पादन कार्य<br>• ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी, व समाज निर्माण के प्रतिमान |
| 8 | श्री ज्ञानरंजन मिश्रा | सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (MSW) | • सामाजिक समाघात अध्ययन व भूमि रिकॉर्ड अनुभव<br>• पी.आर.ए. विशेषज्ञ<br>• सूचना संकलन एवं विश्लेषक<br>• कम्यूनिटी मोबीलाजर |
| 9 | श्री रोशन कुमावत | समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर (MSW) | • पी.आर.ए. विशेषज्ञ<br>• सूचना संकलन<br>• कम्यूनिटी मोबीलाजर |
| 10 | श्री गोपाल पांड्या | एम्०ए० (सामाजिक विज्ञान) एवं MSW | • पी.आर.ए. विशेषज्ञ<br>• सूचना संकलन<br>• कम्यूनिटी मोबीलाजर |
| 11 | श्री दर्शन पांड्या | स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) | • पी.आर.ए. विशेषज्ञ<br>• सूचना संकलन<br>• कम्यूनिटी मोबीलाजर |
| 12 | श्री अशोक दुबे | स्नातक | • पी.आर.ए. विशेषज्ञ<br>• सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक |
| 13 | श्री ऋतिक पांड्या | स्नातक | • सूचना संकलन एवं सर्वेक्षणकर्ता |
| 14 | श्री साकेत पांड्या | स्नातक | • सूचना संकलन एवं सर्वेक्षणकर्ता |
| 15 | श्री निर्मल सिंह | स्नातकोत्तर | • सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक |
| 16 | श्री जितेंद्र राणावत | स्नातक | • सर्वेक्षक एवं सूचना संकलनकर्ता |

### 3.5 सामाजिक समाघात अध्ययन के लिए जानकारी संग्रहण करने के लिए उपयोगी सामाजिक टूल

**3.5.1 सैकेन्डरी स्रोत– डेटा के निम्नांकित स्रोत शामिल है।**

- सरकारी /जनगणना डेटा (2011)
- भूमि लेनदेन के रिकॉर्ड सहित भूमि रिकॉर्ड
- जिला गजेट्स व अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड

3.5.2 **प्राथमिक स्रोत –**

- ग्राम पंचायत
- आंगनवाडी केन्द्र
- उपस्वास्थ्य केन्द्र

### 3.6 समाघात प्रभाव आकलन विधा/तरीके :

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन में आम तौर पर डेटा/आंकड़ा संग्रह पद्धतियों, संख्यात्मक और गुणात्मक सारणी का उपयोग शामिल है। सामाजिक अध्ययन करने के लिए कारणों के संयोजन की आवश्यकता होती है। मूल विश्लेषणात्मक उपकरणों के अलावा सामाजिक समाघात अध्ययन सहभागिता के तरीकों का उपयोग करता है। जो परियोजना कार्य की बेहतर समझ में योगदान करते हैं। परियोजना के स्वामित्व को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। उपकरण और विधियों का विकल्प कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे परियोजना और प्रभावित लोगों की जमीन, पाईप लाईन,फलदार पेड़ एवं सामान्य पेड या कोई अन्य प्रकार की संरचना जोकि व्यक्ति या परिवार के लिए उपयोगी है या उपयोग में ली जा रही है।

सामाजिक समाघात अध्ययन की पद्धति की स्पष्टता महत्त्वपूर्ण है। सामाजिक समाघात अध्ययन में अकसर कई इकाईयां विश्लेषण, जैसे परिवारों, घरों में व्यक्तियों, शिक्षा, रोजगार एवं आय के बारे में जानकारी संकलित करते हैं। घरेलू इकाई का उपयोग आमतौर पर पुनर्वास योजना के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। (एकल परिवार, संयुक्त परिवार या गैर सम्बन्धित सदस्यों सहित एक इकाई शामिल हो सकती है। प्रभावों की प्रकृति पर हमेशा विचार करना महत्त्वपूर्ण है।

सामाजिक समाघात अध्ययन टीम ने साईट पर नक्शे को सत्यापित करने और प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए साईट का दौरा किया। क्षेत्र की पहचान करने के बाद, सर्वेक्षण दल ने परियोजना स्थल पर मुखिया और स्थानीय संसाधन व्यक्ति से परामर्श किया एवं भूमि अधिग्रहण पर उनके दृष्टिकोण और विचारों को जानने के लिए ग्रामीणों के साथ एफ.जी.डी. बैठक आयोजित की। सर्वेक्षण दल ने उन हितधारकों के साथ बैठक भी आयोजित की है जो प्रभावित है और उनकी गणना की गई है। परियोजना के बारे में जानकारी और सर्वेक्षण प्रक्रिया उनके साथ साझा की गई।

### 3.7 अध्ययन की सीमाएँ

संख्यात्मक डेटा संग्रह पद्धति की भी सीमाएँ हैं, जैसे नमूने की पर्याप्तता, उत्तरदाताओं का सहयोग, टीम का अनुभव और क्षेत्र में टीम के द्वारा पर्याप्त सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। कई बार क्षेत्र में परिस्थितियां

विपरीत होने की स्थिति एवं कुछ हितधारकों के अनुपस्थिति के कारण उनके विचारों एवं सूचनाओं का संग्रहण नहीं किया जा सकता है।

### 3.8 सर्वेक्षण पद्धति

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन करने के उद्देश्य के लिए सामाजिक आर्थिक सूचनाएँ एकत्र करने के कई तरीके हैं। आमतौर पर इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ इसमें शामिल है।

#### 3.8.1 संख्यात्मक विधियाँ (Quantitative Method)

- भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण
- जनगणना सर्वेक्षण
- सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण
- अन्य प्रशासनिक राजस्व रिकॉर्ड

#### 3.8.2 गुणात्मक तरीके

- साक्षात्कार
- फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफ.जी.डी.)
- रैपिड मूल्यांकन
- ग्राम बैठक
- महिला बैठक
- सार्वजनिक जन सुनवाई

### 3.9 सामाजिक समाघात हेतु प्राथमिक स्तरीय सूचना संकलन विधा

**3.9.1 साक्षात्कार**–एक प्रश्नावली जो परियोजना शुरु करने से पहले आधारभूत स्थितियों को जानने एवं समझने में सहायता करती है। प्रश्नों में सामाजिक आर्थिक स्थिति (धर्म, जाति, परिवार आकार, शिक्षा, कौशल, व्यवसाय और आय) के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। यह प्रश्नावली सरल भाषा में एवं महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित है।

**3.9.2 फोक्स ग्रुप डिस्कशन्स (एफजीडी)** : एफजीडी में एक या एक से अधिक शोधकर्ता जांच के जरिए एक समूह चर्चा का मार्गदर्शन करते हैं। समूह सदस्यों को विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस समूह में प्रतिभागियों द्वारा मुद्दों पर चर्चा की जाती है। शोधकर्ता द्वारा समूह कें प्रतिभागियों से मुद्दों, मुख्य विषय के बारे में सामान्य चर्चाए की जाती हैं एवं लोगों की सक्रिय एवं सहयोगात्मक भागीदारी हो इसके लिए प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। एफजीडी के माध्यम से आवश्यक

सूचनाए भी संकलित की जाती है ताकि लोगों की स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों आदि का आकलन किया जा सके।

**3.9.3 रैपिड़ मूल्यांकन** : कभी–कभी 'रैपिड मूल्यांकन' (कई अलग–अलग नामों से ज्ञात) के रूप में जाना जाने वाला दृष्टिकोण मूल्यवान हो सकता है। यह कम लागत वाली विधि महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ गहराई से साक्षात्कार पर आधारित हैं, जिसमें पता लगाने वाले मुददों के बारे में ज्ञात होना है। समुदाय में प्रासंगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ सैकेन्डरी डेटा और समूह साक्षात्कार के विश्लेषण में गहराई में मदद करता है।

**3.9.4 ग्राम बैठक** : ग्राम बैठक वह स्रोत है जहां पर सूचनाओं के संकलन एवं बाधाओं को ज्ञात करने में आसानी रहती है। कई बार प्रभावित भू–स्वामी अपनी बात को कहने बताने में सक्षम नहीं होता है तब गांव के अन्य समझदार एवं सक्षम व्यक्ति उनकी बातों को अभिव्यक्त करने में मददगार साबित होते हैं। ग्राम स्तरीय समस्याओं का आकलन भी आसानी से हो पाता है क्योंकि सभी लोग सकारात्मक होकर भागीदारी निभाते हैं। कई बार असामान्य स्थिति में ग्राम बैठक कर लोगों की राय जानना परियोजना के हित में होता है।

**3.9.5 महिला बैठक** : किसी भी परिवार के विकास एवं सम्पन्नता में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी एवं उनके परिवार पर भू अर्जन के प्रभाव किस प्रकार के होंगे या उनके परिवार को कितना प्रभावित करेगा सभी जानना अनिवार्य है। महिला बैठक में उनकी राय लेते हुए उनके सुझावों को भी संकलित किया गया जो कि प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए राहत कार्य में मददगार होंगे। आज हमारी जमीन इस एयरपोर्ट परियोजना हेतु अवाप्ति में जा रही है। महिलाओं ने आजीविका के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जमीन किसी की भी जाये एवं कितनी भी जाये प्रभावित किसान की आय में एक बार तो कमी अवश्य होगी। कुछ परिवार तो ऐसे हैं, जिनके पास भूमि नहीं रहेगी एवं लोगों की आजीविका भी प्रभावित होगी। इसका भी कोई उपाय किया जाना चाहिये एवं उनको जमीन के बदले जमीन दी जानी चाहिये।

### 3.10 संख्यात्मक विधियॉ

**3.10.1 भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण** :

परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से स्थानीय लोगों के लिए विस्थापन और आजीविका का नुकसान अलग अलग प्रकार से होगा। भूमि अधिग्रहण के मूल्यांकन सर्वेक्षण में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है कि भूमि अवाप्ति से किस पर और कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में सरकारी भूमि अभिलेख, उपयोग के नक्शे, सांख्यिकीय जानकारी और मौजूदा कानून और प्रशासनिक अभ्यास एकत्रित

करके सूचनाएँ तैयार की जाती है। आमतौर पर, भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण में केवल भूमि वाले, कानूनी शीर्षक वाले व्यक्ति शामिल है। गैर–शीर्षक वाले व्यक्ति (शेयर धारक, किरायेदारों, अनौपचारिक निवास) शामिल नहीं है। इसे अक्सर प्रभावित व्यक्तियों की ''आधिकारिक'' सूची के रूप में जाना जाता है। जो सरकारी उपलब्ध खातेदारी रिकॉर्ड के आधार पर जमीन का आकलन किया गया। सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित परिवारों की भूमि खातेदारी रिकॉर्ड के अनुसार बताई गई एवं जानकारी संकलित की गई।

### 3.10.2 जनगणना सर्वेक्षण

यह सबसे महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण है, क्योंकि यह उन लोगों की सटीक संख्या निर्धारित करने में मदद करता है जिन पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभावहोंगे। जनगणना सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी प्रभावित व्यक्तियों और संपत्तियों की एक सूची तैयार करना है, जो निम्न हैं:

- परियोजना क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण
- सभी प्रभावित संपत्ति की जानकारी
- सभी प्रभावित व्यक्ति के आय का स्तर और स्रोत, और उन पर परियोजना का असर सर्वेक्षण में खातेदारी रिकॉर्ड अनुसार संगठन ने डेटा संग्रहण के लिए घर को मूल इकाई के रूप में माना।

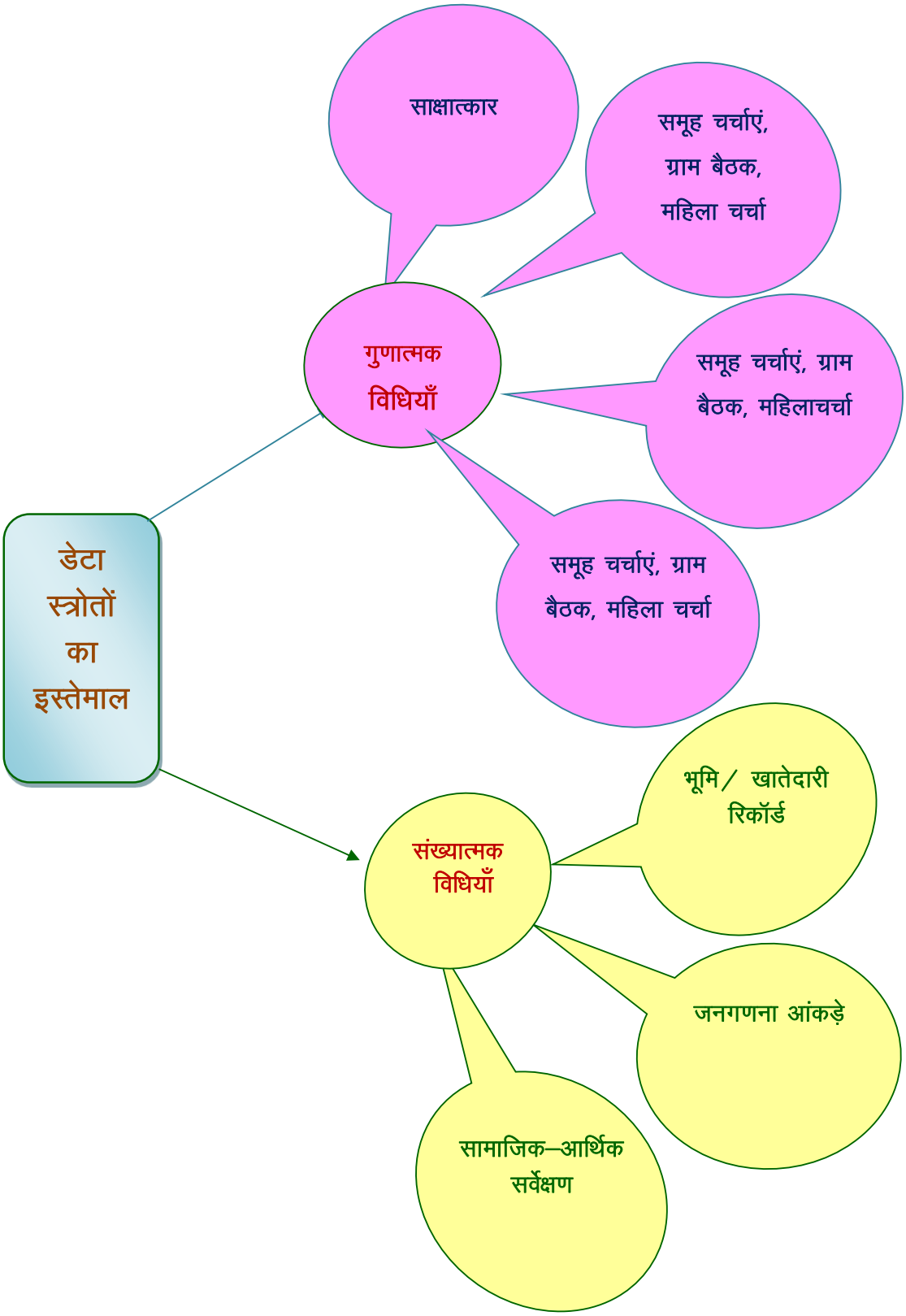
साक्षात्कार
समूह चर्चाएं,
ग्राम बैठक,
महिला चर्चा
गुणात्मक
विधियाँ
समूह चर्चाएं, ग्राम
बैठक, महिलाचर्चा
समूह चर्चाएं, ग्राम
बैठक, महिला चर्चा
डेटा
स्त्रोतों
का
इस्तेमाल
भूमि/ खातेदारी
रिकॉर्ड
संख्यात्मक
विधियाँ
जनगणना आंकड़े
सामाजिक–आर्थिक
सर्वेक्षण

### 3.10.3 सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण

यह अध्ययन प्रभावित जनसंख्या के महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर होने वाले प्रभावों के बारें में जानकारी प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं जनसांख्यिकीय विवरण (पारिवारिक आकार, लिंग अनुपात, साक्षरता/शिक्षा स्तर, जाति, जनजाति, धर्म, लिंग, आयु वर्ग और कमजोर समूहों की आबादी) सामाजिक आर्थिक उत्पादन प्रणाली, आय के स्रोत, महिलाएं आर्थिक गतिविधियों और आय, पैतृक संपत्ति प्रावधान और कस्टम, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर आदि।

## 3.11 सामाजिक समाघात अध्ययन अनुसूची

**तालिका 3.11.1**
**ग्राम स्तर पर सामाजिक समाघात अध्ययन अन्तर्गत गतिविधियों की अनुसूची**

| क्र.सं. | विवरणी | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | ग्राम चर्चा एवं स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क | 11.12.2024 |
| 2 | ग्राम बैठक | 15.04.2023 |
| 3 | सर्वेक्षण | 20.12.24 to 27.12.24 |
| 4 | पी.आर.ए, एफजीडी, | 27.12.2024 |
| 5 | समूह बैठक/चर्चा | 29.12.2024 |
| 6 | जनसुनवाई कार्यक्रम | 30.01.2025 |

ग्राम स्तर पर सार्वजनिक जन सुनवाई का आयोजन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत कुडला, तहसील बाड़मेर ग्रामीण में दिनांक 30.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे चकलाणी, बेरीवाला गांव एवं लालाणियों की ढाणी के प्रभावितों के लिए किया गया है, जिसमें आपत्ति, प्रतिक्रिया और परिणाम आदि पर विचार के लिए भू–स्वामी को अवसर दिया गया है।

प्रभु फाउण्डेशन की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र में खातेदारों से वार्तालाप करते हुए

# अध्याय 4
# भूमि की आवश्यकता एवं आकलन

## 4.1 भूमि की आवश्यकता और वर्तमान उपयोग

इस परियोजना हेतु बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन राजस्व ग्रामों चकलानी, लालाणियों की ढाणी एवं बेरीवाला गांव में जमीन अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से बाड़मेर जिले में सुगम हवाई यातायात सुनिश्चित होगा तथा यह परियोजना बाड़मेर की जनसंख्या की संपूर्ण देश से संपर्क स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। सुगम हवाई आवागमन सुनिश्चित होने से इस क्षेत्र के संपूर्ण औद्योगिक एवं सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना में केवल उन्हीं कृषकों की जमीन अवाप्ति की जायेगी जो इस परियोजना क्षेत्र में आ रहें हैं। नकारात्मक प्रभाव उन कृषकों पर पड़ेगा जिसकी अधिकतम जमीन इस परियोजना हेतु अवाप्ति में चली जायेगी और उनको कहीं और खेती के लिए जगह तलाश करना पड़ेगा। प्राथमिक हितधारक किसान/भू–स्वामी हैं जिनकी इस परियोजना के कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। भूमि का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है एवं विस्तृत जानकारी प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

**तालिका 4.1**
**परियोजना प्रभावित गांव की भूमि का विवरण**

| प्रभावित खाताधारक संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **ग्राम** | **तहसील का नाम** | **अवाप्ति हेतु कुल प्रस्तावित खसरा संख्या** | **अवाप्ति हेतु प्रस्तावित निजी भूमि (हेक्टर)** | **विशेष विवरण** |
| 1 | चकलानी | बाड़मेर ग्रामीण | 09 | 22.5327 | उक्त परियोजना में कोई भी कच्ची/पक्की संरचना प्रभावित नहीं हो रही है। |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | | 03 | 0.2024 | |
| 3 | बेरीवाला गांव | | 13 | 2.7434 | |
| **कुल** | | | **25** | **25.4785** | |

## 4.2 भूमि का आंकलन व वस्तु स्थिति

**तालिका 4.2**
**भूमि का आकलन**

| क्र.सं. | विवरण | वस्तु स्थिति/आज की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | खसरा नक्शा और स्वामित्व के विवरण के साथ भूमि की सूची का विवरण | हाँ |
| 2 | प्रभाव के क्षेत्र का सीमांकन | हाँ |
| 3 | प्रस्तावित भूमि का स्थान/गांव | बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन राजस्व ग्रामों चकलानी, लालाणियों की ढाणी एवं बेरीवाला गांव की जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | प्रस्तावित भूमि की मात्रा का अधिग्रहण | 25.4785 हेक्टेयर |
| 5 | वर्तमान उपयोग | बरानी होने के कारण बहुत कम उपयोग |
| 6 | किसी व्यक्ति ने पहले से ही परियोजना के उद्देश्य के लिए खरीदी, अलगाव, पट्टे या अधिग्रहित किया है। | नहीं |
| 7 | यदि भूमि कृषि भूमि है, किसी भी सिंचाई कवरेज और फसल पैटर्न। | बरानी कोई सिंचाई सुविधा नहीं |
| 8 | प्रकृति और भूमि का वर्तमान उपयोग | बरानी होने के कारण वर्षा में ही उपयोग होता है |

# अध्याय–5
# प्रभावित परिवारों एवं परिसम्पत्तियों का आकलन

## 5.1 प्रभावित परिवारों के विवरण

प्राथमिक हितधारक किसान/भू–स्वामी होंगे जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक सर्वेक्षण में पाया गया कि इस परियोजना हेतु भू–अवाप्ति से 222 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं। इस भूमि अधिग्रहण में सम्पूर्ण भूमि अवाप्ति होने वाले भू–स्वामी भी हैं, परंतु इन भू–स्वामियों की अन्य भूमि भी उसी ग्राम में उपलब्ध है जो परियोजना से प्रभावित नहीं हो रही है। इसका निर्धारण स्थानीय पटवारी द्वारा किया गया है। इन 222 खातेदारों से व्यक्तिगत रूप से एसआईए संस्था की टीम द्वारा संपर्क किया गया एवं सर्वेक्षण फार्म भरे गए तथा उनसे इस परियोजना से संबंधित प्रश्नावली के संबंध में जानकारियां एकत्रित की गईं।

खातेदारों से अधिग्रहण की जाने वाली पूरी भूमि बरानी है इसमें वर्षा के अतिरिक्त कोई फसल नहीं होती है। अतः इस अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में कोई भी वृक्ष, पौधें, कुआं, किसी प्रकार की संरचना व रोजगार के साधन नहीं हैं।

| क्र.सं. | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रभावित किसान/भू–स्वामी | चकलानी, लालाणियों की ढाणी एवं बेरीवाला गांव के 222 काश्तकारों की जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। |
| 2 | जमाबंदी में नाम के अनुसार भूमि मालिक | हाँ, सूची संलग्न है। |
| 3 | क्या वहां किरायेदार हैं या अधिग्रहित होने वाली भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। | नहीं |
| 4 | अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों ने अपने वन अधिकारों में से किसी को खो दिया है। | नहीं |
| 5 | आम संपत्ति, संसाधन जो उनकी आजीविका के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगे | नहीं |
| 6 | अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अधिग्रहण के अधीन है | नहीं |
| 7 | अधिग्रहण से 3 साल पहले आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रुप में अधिग्रहित होने वाली जमीन पर निर्भर है। | हाँ |

## 5.2 सामाजिक समाघात अध्ययन के तहत परिवार सर्वेक्षण

- **परिवार के सदस्यों का वर्गीकरण**

**तालिका 5.1**
**परिवार के सदस्यों का वर्गीकरण**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | पुरूष | महिला | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 431 | 377 | 808 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 439 | 342 | 781 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 619 | 552 | 1171 |
| **कुल** | | **1489 (53.95%)** | **1271 (46.05%)** | **2760 (100%)** |

तालिका 5.1 गाँवों/चक के परिवारों के लिंग को प्रदर्शित करती है। प्रभावित गांवों/चक में से कुल उपस्थित लोगों में 53.95 प्रतिशत पुरूष एव 46.05 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

- **वैवाहिक स्थिति**

**तालिका 5.2**
**वैवाहिक स्थिति**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | विवाहित | अविवाहित | विधवा | विधुर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 394 | 398 | 10 | 6 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 302 | 449 | 7 | 13 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 512 | 618 | 22 | 19 |
| **कुल** | | **1208 (43.92%)** | **1465 (53.27%)** | **39 (1.42%)** | **38 (1.38%)** |

तालिका 5.2 गाँव/चक के प्रभावित परिवारों की वैवाहिक स्थिति को प्रदर्शित करती है। प्रभावित गांवों/चक में से कुल आबादी 2750 में से 43.92 प्रतिशत विवाहित, 53.27 प्रतिशत अविवाहित एवं 1.42 प्रतिशत लोग विधवा व 1.38 प्रतिशत विधुर हैं।

- **शैक्षिक स्तर**

**तालिका 5.3**
**शैक्षिक स्तर**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | निरक्षर | साक्षर | प्राथमिक | उ. प्राथमिक | माध्यमिक | उच्च माध्यमिक | स्नातक | स्नातकोत्तर | तकनीकी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 82 | 192 | 51 | 47 | 158 | 63 | 97 | 84 | 34 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 52 | 142 | 84 | 67 | 121 | 130 | 85 | 73 | 27 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 123 | 222 | 94 | 101 | 198 | 130 | 103 | 114 | 86 |
| **कुल** | | 257 | 556 | 229 | 215 | 477 | 323 | 285 | 271 | 147 |
| **कुल प्रतिशत** | | **9.31** | **20.14** | **8.30** | **7.79** | **17.28** | **11.70** | **10.33** | **9.82** | **5.33** |

तालिका 5.3 उत्तरदाता के शैक्षिक स्तर को दर्शाता है। प्रभावित गांवों/चक में से कुल उपस्थित लोगों में 9.31 प्रतिशत निरक्षर, 20.14 प्रतिशत साक्षर, 8.30 प्रतिशत प्राथमिक, 7.79 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, 17.28 प्रतिशत माध्यमिक, 11.70 प्रतिशत उच्च माध्यमिक, 10.33 प्रतिशत स्नातक, 9.82 प्रतिशत स्नातकोत्तर एवं तकनीकी क्षेत्र में 5.33 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं।

- **रोजगार की स्थिति**

**तालिका 5.4**
**रोजगार की स्थिति**

| क्रम संख्या | गांव का नाम | हाँ | नहीं | बच्चे व वृद्ध | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 328 | 82 | 398 | 808 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 306 | 68 | 407 | 781 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | बेरीवाला गांव | 547 | 90 | 534 | 1171 |
| **कुल** | | 1181 | 240 | 1339 | 2760 |
| **प्रतिशत** | | **42.79** | **8.70** | **48.51** | **100** |

तालिका 5.4 प्रभावित गांवों/चक में उत्तरदाता के रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांवों/चक में से कुल उपस्थित लोगों में 42.79 प्रतिशत लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं जबकि 08.70 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं।

**तालिका 5.5**
**कार्य नहीं करने के कारण**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | कार्य नहीं करने के कारण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | घरेलू कार्य | अपंग/दिव्यांग | शिक्षण कार्य | रोजगार के साधन न होना | कुल |
| 1 | चकलानी | 34 | 0 | 0 | 48 | 82 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 28 | 0 | 0 | 40 | 68 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 43 | 0 | 0 | 47 | 90 |
| **कुल** | | **105** | **0** | **0** | **135** | **240** |
| **कुल प्रतिशत** | | **43.75** | **0** | **0** | **56.25** | **100.00** |

तालिका 5.5 प्रभावितगांवों/चक में से कुल उपस्थित लोगों में से 43.75 प्रतिशत घरेलू कार्यों के कारण व 56.25 प्रतिशत लोग रोजगार के साधन सुलभ न होने के कारण बेरोजगार हैं। दिव्यांग या शिक्षण कार्यों में होने की वजह से बेरोजगार होने की कोई जानकारी सर्वेक्षण करने पर प्राप्त नहीं हुई है।

**तालिका 5.6**
**मुख्य व्यवसाय**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | कृषि | कृषि मजदूरी | दैनिक मजदूरी | वेतनभोगी | राजकीय सेवा | स्व रोजगार | बेरोजगार | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 156 | 86 | 38 | 48 | 0 | 0 | 82 | 410 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 142 | 95 | 27 | 35 | 0 | 7 | 68 | 374 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 244 | 187 | 60 | 41 | 0 | 15 | 90 | 637 |
| **कुल** | | 542 | 368 | 125 | 124 | 0 | 22 | 240 | 1421 |
| **कुल प्रतिशत** | | **38.14** | **25.90** | **8.80** | **8.73** | **0.00** | **1.55** | **16.89** | **100** |

तालिका 5.6 प्रभावित गांवों में उत्तरदाता के मुख्य व्यवसायको दर्शाता है। गांवों/चक में से कुल उपस्थित लोगों में 38.14 प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, 8.73 प्रतिशत उत्तरदाता वेतनभोगी हैं एवं 25.90 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि मजदूरी तथा 1.55 प्रतिशत स्वरोजगार जुड़े हुए हैं।

**तालिका 5.7**
**आयु के अनुसार वर्गीकरण**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | आयु वर्गीकरण (वर्षों में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 साल से कम | 5 से 18 | 19 से 30 | 31 से 60 | 60 से अधिक | कुल |
| 1 | चकलानी | 130 | 152 | 218 | 192 | 116 | 808 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 125 | 190 | 186 | 188 | 92 | 781 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 234 | 182 | 346 | 291 | 118 | 1171 |
| **कुल** | | 489 | 524 | 750 | 671 | 326 | 2760 |
| **कुल प्रतिशत** | | **17.71** | **18.98** | **27.17** | **24.31** | **11.81** | **100** |

तालिका 5.7 प्रभावित गांवों में उत्तरदाता परिवार के सदस्यों के आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांवों/चक में से कुल उपस्थित लोगों में 5 वर्ष से कम आयु के 17.71 प्रतिशत, 5 से 18 वर्ष की आयु के 18.98 प्रतिशत, 19 से 30 वर्ष की आयु के 27.17 प्रतिशत, 31 से 60 वर्ष की आयु वाले 24.31 प्रतिशत, 60 वर्ष से अधिक की आयु के 11.81 प्रतिशत हैं।

**तालिका 5.8**
**सामाजिक समूह के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | सामान्य | अ.पि.वर्ग | अनु. जाति | अनु. जनजाति | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 72 | 61 | 2 | 6 | 141 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 80 | 58 | 3 | 5 | 146 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 103 | 72 | 11 | 7 | 193 |
| **कुल** | | 255 | 191 | 16 | 18 | 480 |
| **कुल प्रतिशत** | | **53.13** | **39.79** | **3.33** | **3.75** | **100** |

तालिका 5.8 प्रभावित गांवों में उत्तरदाता के जाति वर्ग को दर्शाता है। प्रभावित गांवों/चक में से कुल उपस्थित परिवारों में सामान्य वर्ग के 53.13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 39.79 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 3.33 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति का 3.75 प्रतिशत परिवार हैं।

**तालिका 5.11**
**परिवार का प्रकार**

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | संयुक्त | एकल | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 82 | 59 | 141 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 84 | 62 | 146 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 106 | 87 | 193 |
| **कुल** | | **272** | **208** | **480** |
| **कुल प्रतिशत** | | **56.66** | **43.33** | **100.00** |

तालिका 5.11 में प्रभावित गांव में 46.33 प्रतिशत संयुक्त परिवार हैं एवं 56.66 प्रतिशत एकल परिवार हैं।

तालिका 5.12
परिवार का आकार

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | छोटा | मध्यम | बड़ा | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 41 | 54 | 46 | 141 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | **38** | **53** | **55** | **146** |
| 3 | बेरीवाला गांव | **62** | **68** | **63** | **193** |
| **कुल** | | **141** | **175** | **164** | **480** |
| **कुल प्रतिशत** | | **29.38** | **36.46** | **34.16** | **100.00** |

तालिका 5.12 में प्रभावित गांव छोटे परिवारों का प्रतिशत अधिक हैं इसमें कुल 29.38 प्रतिशत छोटे परिवार जिसमें 5 से 6 सदस्य हैं। 36.46 प्रतिशत मध्यम परिवार परिवार जिसमें 7 से 8 सदस्य एवं 34.16 प्रतिशत बड़े परिवार जिनमें 9 से ज्यादा सदस्य हैं।

तालिका 5.13
कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अवसर

| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | हाँ | नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलानी | 80 | 324 | 410 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 69 | 305 | 374 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 116 | 521 | 637 |
| **कुल** | | **271** | **1150** | **1421** |
| **कुल प्रतिशत** | | **19.08** | **80.92** | **100.00** |

तालिका 5.13 में प्रभावित गांवों में 19.08 प्रतिशत उत्तरदाता परिवारों के पास कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार है एवं 80.92 प्रतिशत के पास नहीं है।

तालिका 5.14

आय का स्तर

| प्रभावित परिवारों की सालाना आय | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | गांव/चक का नाम | 20000 तक | 20001 से. 50000 | 50001 से 100000 | 100001से 200000 | 200001 से अधिक | योग |
| 1 | चकलानी | 1 | 6 | 8 | 28 | 98 | 141 |
| 2 | लालाणियों की ढाणी | 2 | 7 | 11 | 24 | 102 | 146 |
| 3 | बेरीवाला गांव | 2 | 3 | 18 | 41 | 129 | 193 |
| **कुल** | | **5** | **16** | **37** | **93** | **329** | **480** |
| **कुल प्रतिशत** | | **1.04** | **3.33** | **7.71** | **19.38** | **68.54** | **100.00** |

तालिका 5.15 प्रभावित गांवों के 01.04 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 20000 हजार रुपये सालाना है। 20001 से 50000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की संख्या 3.33 प्रतिशत और 50001 से 100000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की संख्या 7.71 प्रतिशत है। इससे अधिक आय वाले परिवारों की संख्या सर्वाधिक यथा 68.54 प्रतिशत है।

इन गांवों में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, परंतु राजपूत एवं जाट समुदाय के परिवारों की अधिकता है, कुछ ब्राह्मण एवं मुस्लिम परिवार भी यहां निवास करते हैं। जिसमें 222 परिवारों की भूमि इस भू–अवाप्ति से प्रभावित हो रही है। इन गांवों में उच्चय, मध्यम, निम्न व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार निवास करते हैं। गांवों के अधिकांश लोग कृषि कार्य पर ही निर्भर हैं।

### 6.1 राजनीतिक संगठन

इन तीनों ग्रामों में राजनीतिक संगठन कार्यशील है। कुछ राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं जो राजनैतिक गतिविधियों के समय सक्रिय हो जाते हैं।

### 6.2 सामुदायिक आधारित या सिविल सोसाइटी संगठन

इन तीनों ग्रामों में सामुदायिक या ग्राम स्तरीय संगठन भी कार्यशील हैं। धार्मिक व स्थानीय रिवाजों के अनुसार ग्रामीण संगठित होकर धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं।

### 6.3 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ (Local Economic Activities)

प्रभावित परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि व मजूदूरी है। अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, इसका मुख्य कारण किसानों खेतीहर भूमि बरानी है अतः साल में एक फसल भी पूर्ण रुप से नहीं ले पाते हैं। आर्थिक पक्ष को दो तरफा देखा जा सकता है क्योंकि भूमि अधिग्रहण से पहले ये लोग आर्थिक रुप से काफी सक्षम हैं। लेकिन भूमि अधिग्रहण के बाद यह स्थिति थोड़ी कमजोर हो जावेंगी क्योंकि बरानी खेती से जो आय होती है, वह बन्द हो जावेगी। इस प्रकार ये लोग भूमि से होने वाली आय पर पर पूरी तरह आश्रित नहीं हैं। दूसरा पक्ष यह है कि भूमि अधिग्रहण के बाद लोगों के पास जो भूमि बचेंगी उसके बावजूद भी इन खातेदारों को पलायन नहीं करना पडेगा, क्योंकि प्रभावित खातेदारों के पास उनके गांव में ही अन्य स्थल पर भूमि उपलब्ध है। यहां सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन में प्रभावित लोगों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि एक परिवार पर भूमि के अधिग्रहण के प्रभाव किस प्रकार के हो सकता है।

### 6.4 पर्यावरण की गुणवत्ता

एयरपोर्ट के प्रारंभ होने के बाद पर्यावरण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से क्षति होगी। पर्यावरण की क्षति ऐसी क्षति है जिसका तत्काल से निवारण आवश्यक है। वृक्षारोपन के अतिरिक्त स्थानीय स्तर बड़े स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के संसाधनों को बड़े स्तर अपनाना ही होगा। क्योंकि पर्यावरण हेतु कोई मांग करने वाला नहीं हैं। अर्थात् सरकार को इसके लिए प्रभावी पहल कर नवीन पौधों के लगाये जाने हेतु पहल अवश्य करनी चाहिये। किसानों/भू–स्वामियों ने सशर्त अपनी बात रखते हुए बताया कि– अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का नियमानुसार एवं भू–स्वामियों को भूमि अवाप्ति से हो रही क्षति को ध्यान में रखते हुए खातेदारों को भुगतान कर दिया जाना चाहिए है।

### 6.5 परियोजना क्षेत्र के गांवों की जन संख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) (Demographic Details of th Population in the ProjectArea)

**जनगणना 2011 के अनुसार इन तीनों ग्रामों का यह आंकड़ा सयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है।**

तालिका 6.5.1
प्रभावित होने वाले क्षेत्र में निजि भूमियों की सूची

| गांव का नाम | गांव की जन संख्या प्रारुप (जनगणना 2011 के अनुसार) | |
|---|---|---|
| | कुल परिवार | कुल जनसंख्या |
| चकलानी | 141 | 808 |
| लालाणियों की ढाणी | 146 | 781 |
| बेरीवाला गांव | 193 | 1171 |
| कुल | **480** | **2760** |

## 6.6 तीनों राजस्व ग्रामों के प्रभावित परिवारों के संबंध में अन्य सूचनाएं

तीनों राजस्व ग्रामों के प्रभावित परिवारों के संबंध में अन्य सूचनाएं इस प्रकार हैं–

### 6.6.1 विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची

इस एयरपोर्ट के निर्माण से तीनों ग्राम से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं होगा। क्योंकि किसी भी परिवार की उस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है जिसमें वे निवास करते हैं या कृषि आधारित व रोजगार आधारित कार्यों पर पूर्णरुप से निर्भर हैं।

### 6.6.2 प्रभावित होने वाले क्षेत्र में स्थित आधारभूत संरचनाओं की सूची

इस एयरपोर्ट के निर्माण से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई संरचना प्रभावित नहीं हो रही है।

### 6.6.3 प्रभावित होने वाले क्षेत्र में निजी भूमियों की सूची –

इस एयरपोर्ट के निर्माण से तीनों ग्राम के 222 परिवारों की पूर्ण बरानी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। जिन परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया जावेंगा उनका विवरण इस प्रतिवेदन के अंत में संलग्न किया गया है।

### 6.6.4 प्रभावित होने वाले क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों की सूची

इस एयरपोर्ट के निर्माण से तीनों ग्राम के 222 परिवारों की केवल बारानी भूमि अधिग्रहण हो रही है। यह भूमि पूर्ण रुप से बारानी है। किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने की सूचना सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त नहीं हुई हैं।

### 6.6.5 प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों की सूची

इस एयरपोर्ट के निर्माण अधिग्रहण हो रही भूमि पूर्ण रुप से बरानी है। अतः प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से ग्राम का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

### 6.6.6 प्रभावित होने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व विशेष योग्यजनों की सूची

इस एयरपोर्ट के निर्माण क्षेत्र में तीनों ग्रामों में 222 परिवार निवास करते हैं। अधिकांश प्रभावित परिवार राजपूत तथा जाट जाति के हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के परिवारों की संख्या काफी कम है।

### 6.6.7 प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की सूची

इस एयरपोर्ट के निर्माण से अधिग्रहण हो रही भूमि पूर्ण रुप से बरानी है। अतः इसमें केवल वर्षा आधारित फसलें होती हैं। अतः प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से ग्राम का कोई भी भूमिहीन खेतीहर मजदूर प्रभावित नहीं हो रहा है।

### 6.6.8 प्रभावित होने वाले क्षेत्र व प्रभावित होने वाले परिवारों का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिदृश्य

इस एयरपोर्ट के निर्माण स्थल के ग्रामों व परिवारों का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिदृश्य पर ही आधारित यह अध्याय है। इस विस्तृत अध्याय को संक्षिप्त रुप में तालिका 6.6.8.1 में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 6.6.8.1**
**प्रभावित होने वाले क्षेत्र में निजी भूमियों की सूची**

| क्रम संख्या | सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिदृश्य | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | राजनीतिक संगठन व गैर राजनीतिक संगठन | हां, है |
| 2 | सामुदायिक आधारित या सिविल सोसाइटी संगठन | हां, है |
| 3 | धार्मिक या जातिगत संगठन | हां, है |
| 4 | स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ | वर्षा आधारित कृषिहर व बागवानी के कार्य, पशुपालन, खुली मजदूरी, फुटकर व दुकानें इत्यादि |
| 6 | रीति रिवाज | स्थानीय धार्मिक त्यौहार व मेले, स्थानीय उत्सवों पर भोज, स्थानीय खाद्य पदार्थों का भरपूर उपयोग |

# अध्याय–7
# सामाजिक समाघात आकलन

## 7.1 परिचय

यह सामाजिक समाघात आंकलन प्रस्तावित परियोजना के लिये आवश्यक 25.4785 हैक्टर भूमि को बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन राजस्व ग्रामों क्रमशः चकलानी, लालाणियों की ढाणी एवं बेरीवाला गांव भू–अवाप्ति करने हेतु प्रस्तावित है। इन गांवों में परियोजना के प्रभावों को हम किस प्रकार देखते हैं या इन गांवों में भूमि अधिग्रहण के प्रभाव किस प्रकार के होंगे, का आकलन करना आवश्यक है। इस अध्याय के अन्तर्गत परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभावों को जानने का प्रयास किया है।

## 7.2 परियोजना के प्रभाव

जब भी कोई परियोजना किसी क्षेत्र में आरम्भ होती है तो उसके प्रभाव विभिन्न प्रकार से देखे जाते हैं। प्रभावों के बारे में अगर हम समझें तो पता चलता है कि क्षेत्र में प्रभावों को सकारात्मक या नकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है। क्षेत्र, व्यक्ति, समुदाय में किसी प्रकार का बदलाव ही सामाजिक प्रभाव को परिभाषित करता है। जैसे ''किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यों के जहाँ कि लोग रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित करते हैं, सहयोग करते हैं और आम तौर पर समाज के सदस्यों के साथ अच्छे या बुरे कार्यों से सामना करते हैं। इसमें सांस्कृतिक प्रभाव भी शामिल हैं। जिनमें मानदंड़ों, मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तन शामिल हैं, जो कि खुद को और उनके समाज की समझ और तर्क संगत तरीके से मार्गदर्शन करते हैं।'' सामाजिक प्रभाव सकारात्मक होंगे जैसे रोजगार, आय, उत्पादन, जीवनशैली, संस्कृति, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यक्तिगत कल्यान व सामाजिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण सुधार दे सकते हैं।

सामाजिक समाघात अध्ययन आकलन निर्णय निर्माताओं को अपने कार्यों की संभावित नकारात्मक प्रभावों की अग्रिम जानकारी या पहचान करने में सहायता करता है। किसी भी बात/मुद्दे को समझने निर्णय लेने सहायता के रूप में, सामाजिक समाघात अध्ययन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर जानकारी प्रदान करता है ताकि उनके प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए समय पर आवश्यक कदम उठाये जा सकें या कम से कम समय में निर्णय लिया जा सके।

सामाजिक समाघात आकलन के संचालन की प्रक्रिया को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें प्रस्तावित अधिग्रहण के समाघात का आकलन करने के लिए व्यवस्थित तरीके से सभी हितधारकों को शामिल किया गया है।

### 7.3 प्रभावों की पहचान करने के लिए ढ़ांचा और दृष्टिकोण

चरण 1 : सामाजिक समाघात अध्ययन टीम का निर्माण

चरण 2 : साहित्य समीक्षा

चरण 3 : विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक

चरण 4 : डाटा संग्रह (उपकरण : परिवार सम्पर्क, प्रश्नावली, एफजीडी, अनुसूची)

चरण 5 : डाटा प्रोसेसिंग

चरण 6 : रिपोर्टिंग

भूमि अधिग्रहण से हितधारक (भू–स्वामी) प्रभावित हो रहा है। चूंकि प्रस्तावित भूमि में कृषि/खेती की है लेकिन यह भूमि पूर्णतहः बरानी होने से भू–स्वामियों को कृषि भूमि के अतिरिक्त बाग, फलदार एवं सामान्य वृक्षों का नुकसान नहीं होगा।

### 7.2 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव

इस परियोजना के तहत भूमि के अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव निम्नानुसार होंगेः

- परियोजना पूर्व चरण के दौरान प्रभाव
- परियोजना चरण के दौरान प्रभाव

### (i) परियोजना पूर्व चरण के दौरान प्रभाव

इस चरण में भूमि अधिग्रहण करने सम्बन्धी गतिविधियां आयोजित की जायेगी। यहां पर भू–स्वामी किसी भी प्रकार की खेती सम्बन्धी कोई गतिविधि करने की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात् हितधारक को इस समय में आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जिससे भू–स्वामी/खातेदार हिस्सेदार/परिवार पर कुछ समय के लिए नकारात्मक प्रभाव होते हैं। लोगों के सामने आजीविका की चुनौती रहेगी। भूमि अधिग्रहण से लोगों की आय प्रभावित होगी एवं कृषि मजदूरी भी नहीं मिल पायेगी। रोजगार के अभाव में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की आय में कमी आयेगी। जमीन की अवाप्ति को लेकर मन में संशय बना रहेगा एवं कृषि कार्य भी बाधित होगा।

### (ii)परियोजना चरण के दौरान प्रभाव

परियोजना चरण के दौरान ग्रामीणों से चर्चाएँ कर इसके विभिन्न प्रभावों को पहचाना गया है इस चरण में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। भू–अवाप्ति सम्बन्धी गतिविधियों के कारण हितधारक कृषि करने की स्थिति में भी नहीं रहता है। हितधारक को इस समय पर किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि भी नहीं मिलती है जिससे वह अन्यत्र जमीन क्रय कर सके। अर्थात् हितधारक को इस समय में केवल मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यहां पर भूमि अधिग्रहण के बाद शेष भूमि जो बचेगी उस पर भी कृषि करने की चुनौती रहेगी।

**तालिका 7.3**

**परियोजना के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का आकलन**

| विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव | सकारात्मक प्रभाव | नकारात्मक प्रभाव |
|---|---|---|
| परियोजना पूर्व चरण | • जमीनों के भाव/कीमत में अभिवृद्धि होना।<br>• नये लोगों के आवागमन को प्रेरणा मिलना। | • भूमि अधिग्रहण की समस्या एवं मन में संशय रहना।<br>• उत्पादन के निवेश में कमी तथा उत्पादन में भी कमी होना।<br>• भूमिहीन होना।<br>• कम भूमि का बचना जिससे जीवनयापन कर पाने की चुनौती रहना। |
| परियोजना चरण | • व्यवसाय के नये रास्ते खुलेंगे।<br>• प्राप्त मुआवजा राशि से अधिक कृषि भूमि क्रय कर उत्पादन के अवसर प्राप्त होना।<br>• रोजगार के अवसर मिलना।<br>• आय में अभिवृद्धि से सामाजिक स्तर में सुधार होना।<br>• भूमि की कीमत में अभिवृद्धि होना। | • भूमि अधिग्रहण के बाद भूमिहीन होना।<br>• भूमिहीन लोगों द्वारा पलायन करना।<br>• परियोजना क्षेत्र में पेड़ों के कट जाने के कारण पर्यावरण में गिरावट<br>• जमीनों के भाव/कीमत में अभिवृद्धि का सामना करना। |

# अध्याय–8
# भूमि अधिग्रहण पर लाभ एवं सिफारिश

क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभों व सिफारिषों के संज्ञान के लिये सामाजिक समाघात आंकलन करने व विशेषज्ञों की प्रभावित परिवारों व ग्रामीणों से चर्चा करने से निम्नलिखित लाभ व सिफारिशें निकलकर आयी हैं।

## 8.1 भूमि अधिग्रहण से लाभ

- प्रभावित क्षेत्र के न केवल प्रभावित परिवारों अपितु तीनों ग्राम के निवासियों का समयनुसार उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा।
- मौजूदा संसाधनों विकास से न केवल प्रभावित परिवारों अपितु तीनों ग्राम के निवासियों का दक्षता व क्षमता में वृद्धि होगी।
- पर्याप्त हवाई यातायात सुनिश्चित होने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां विकसित होंगी।
- क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं जैसे– स्वास्थ्य संस्थानों, यातायात साधनों, बुनियादी व उच्च शिक्षा संस्थानों, दूरसंचार के संधानों, रोजगार के संधानों व घरेलू सामग्री की दुकानों इत्यादि का विकास होगा।
- एयरपोर्ट के चारों और हरियाली व पर्यावरण संरक्षण के उपायों से तीनों ग्राम की वातावरण व पर्यावरण की स्थिति में इच्छित सुधार होगा
- देश के विभिन्न राज्यों के सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों की आवाजाही के नये रास्ते खुलेंगे
- ग्राम पंचायत के राज्यस्व में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- ग्राम पंचायत का विस्तार होगा व कुछ समय में ही पंचायत समिति बनने की संभावनाए बनेंगी।

**तालिका 8.1**
**परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव**

| क्र.सं. | सकारात्मक प्रभाव | नकारात्मक प्रभाव | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | भूमि अधिग्रहण से परियोजना का विस्तार होकर मूलभूत संरचनाओं का विकास होगा। | प्रभावित परिवारों की आजीविका कुछ समय के लिये प्रभावित होगी। | एफ.जी.डी. के दौरान सूचना संकलन करते समय लोगों द्वारा बताया गया है। |
| 2 | प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ सामाजिक जीवन स्तर में सुधार होगा। | प्रभावित परिवारों को नवीन व कृषिहर भूमि की तलाश करने में अतिरिक्त समय व धन खर्च करना होगा। | |
| 3 | क्षेत्रीय आवागमन में सुगमता आएगी। | | |
| 4 | रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी | | |
| 5 | बाड़मेर जिले का संपूर्ण देश से शीघ्र संपर्क स्थापित हो सकेगा, जिससे जिले के विकास में सहयोग होगा। | | |

## 8.2 भूमि अधिग्रहण से हितधारकों पर प्रभाव

तलिका 8.2.1
संभावित प्रभावों की सूची

| कारक | प्राथमिक हितधारकों पर प्रभाव | द्वितीयक हितधारकों पर प्रभाव |
|---|---|---|
| गांव | प्रभावित परिवारों की बरानी भूमि अधिग्रहण होने से आजीविका का कुछ समय के लिये प्रभावित होगी | पर्याप्त सुविधा के कारण अन्य किसानों की शेष जमीन का मूल्य बढ़ जाना। |
| भूमि | प्रभावित परिवारों की बरानी भूमि अधिग्रहण होने से आंशिक खेतीहर (बरानी) योग्य भूमि में कमी हो जावेंगी। | जमीन का मूल्य बढ़ जाना। |
| आजीविका और आय | • एयरपोर्ट बनने से प्रभावित परिवारों की सालाना आय में लगभग 48000 रुपये प्रति वर्ष की कमी होने की संभावना है<br>• कुछ समय के लिए आजीविका की चुनौती होना। | • भूमि कम होने से आय में कमी होना।<br>• कुछ भू–स्वामियों की भू–अवाप्ति के कारण जमीन कम रह जाना।<br>• ऐसे भू–स्वामी जिनकी भूमि बहुत ही कम है एवं भूमि अवाप्ति से आजीविका का प्रभावित होना है। |
| निजी सम्पत्ति | नहीं | नहीं |
| सार्वजनिक सम्पत्ति | नहीं | नहीं |
| स्वास्थ्य | नहीं | नहीं |
| सांस्कृतिक और सामाजिक एकजुटता का प्रभावित होना | हाँ (जिन किसानों की भूमि आवाप्त होगी उन्हें अन्य स्थान पर जमीन व आजीविका हेतु कार्य तलाशना पड़ेगा) | आपसी सहयोग एवं पारिवारिक सम्बन्ध प्रभावित होना। |

## 8.3 प्रस्तावित भूमि आवाप्त के कारण परिवार व रिश्तेदारों पर पड़ने वाले सामाजिक व आर्थिक भार

तीन ग्रामों के 222 परिवार प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित हो रहे हैं। सामाजिक समाघात अध्ययन के दौरान यह भी सामाने आया की यहाँ की छात्राएँ भी आसानी से अकेले भी कोचिंग के लिए जा पाती हैं क्योंकि यह गांव सड़क के किनारे बसा हुआ है व यहाँ से आस–पास के शहर व कस्बे में आने जाने के लिए यातायात की सुविधा अच्छी है।

सामाजिक समाघात अध्ययन के दौरान समझ में आया की भूमि अवाप्ति पश्चात् परिवार में बच्चों के अलावा नजदीकी रिश्तेदारों के बच्चों पर निम्न सामाजिक व आर्थिक भार पड़ने समस्या है।

तलिका 8.3.1
संभावित प्रभावों की सूची

| क्र.स | विषय/वर्ग | समस्या |
|---|---|---|
| 1 | परिवारों की बरानी भूमि का अधिग्रहण होने से निम्न प्रभाव पड़ने की संभावना है | • आंशिक खेतीहर भूमि की कमी होने से प्रभावित परिवारों की वार्षिक आय में निश्चित रुप से कमी आवेंगी<br>• इस कमी से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को नौकरी के लिए पढ़ाई व प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में समस्या आयेंगी<br>• प्रभावित परिवारों को इस आय में कमी होने से रोजगार के नये विकल्पों को तलाश होगा<br>• प्रभावित परिवारों को कुछ समय के लिये मानसिक व समाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा |
| 2 | युवाओं के उच्च शिक्षण एवं परिवार में भागीदारी प्रभावित होना। | रिश्तेदारों के बच्चे जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बाड़मेर शहर में न रहकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ इन गांववासियों के साथ में रहते है उनकी अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने में कठिनाई होगी |

## एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर निष्कर्ष हेतु अनुशंसा

क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना भू–स्वामियों की भूमि अधिग्रहण नियम एवं आवश्यकता के अनुसार किया गया है और इनमें मौजूद विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिससे स्थानीय लोगों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े।

सामाजिक समाघात प्रभाव निर्धारण अध्ययन अन्तर्गत प्रस्तावित इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उनको उचित मुआवजा व सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं से सहयोग की सिफारिश की जाती है।

1. जिन ग्रामवासियों की भूमि अवाप्त की जाएगी उनकी सभी तर्कसंगत मांगों को रिकॉर्ड पर लेकर सक्षम स्तर पर सरकार के पास सकारात्मक अनुशंषा के साथ भिजवाया जाना चाहिए, एवं विधि सम्मत निस्तारण के पश्चात् ही अवाप्ति की आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ।
2. भूमि अवाप्ति के पश्चात् पशुओं के चरने के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली गोचर भूमि को रहवास के समीपस्थ रखने के प्रयास किये जाने चाहिए।
3. अवाप्ताधीन भूमि पर निर्माणाधीन एयरपोर्ट परियोजना में प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है साथ ही प्रभावित गावों में युवाओं को संभावित रोजगार के लिए

युवाओं में आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी के सीएसआर फंड से स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोले जाने चाहिए।

4. जिनकी जमीन अधिग्रहण की जा रही है उनके परिवारों को इस परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार में से कम से कम दो व्यक्ति जो अकुशल व अशिक्षत हैं को परियोजना के निर्माण कार्यो के दौरान दैनिक मजदूरी उपलब्ध करवाने की सुनिश्चता की जावें व साथ ही इन कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात भी उन्हें योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार से स्थाई रोजगार की व्यवस्था की भी करवाने का आश्वासन दिया जावे। ताकि ये परिवार सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें।
5. एयरपोर्ट बनने से इन प्रभावित ग्रामों की 10 किलोमीटर सीमा के अन्दर ही मूलभूत सुविधाएं जैसे– स्वास्थ्य, स्वाच्छता, सुरक्षित पेय जल आपूर्ति, रोजगारमुखी योजनाएं व प्रक्षिशण केन्द्रों का संचालन, नियमित विद्युत आपूर्ति, यातायात के साधनों की बुनियादी सुविधायें व महिला व बाल विकास सेवाएं निरन्तर उपलब्ध करवाने की गारन्टी प्रदान की जावे।
6. प्रभावित परिवारों को सस्ते, सुलभ व सरल प्रक्रिया के माध्यम से पीडीएस के माध्यम से दैनिक उपयोग में काम में आने वाली वस्तुओं जैसे – अनाज, दहलन, दवाईयां, परचूनी सामग्री, साबुन व अन्य वस्तुएं जो प्रभावित परिवारों के लिये जीवन यापन के लिये आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जाएं।
7. विधवाओं, बुर्जुगों, अनाथ बच्चों, निराश्रितजनों व इत्यादि की देखभाल व सुरक्षा के लिये भी एयरपोर्ट ऑथोरिटी के सी.एस.आर. मद से इनके पुर्नवास की व्यवस्था की सुनिश्ति करवानी चाहिये।
8. इन प्रभावित ग्रामों में निवास कर रहें लोगों के विभाग द्वारा प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार स्थाई नौकरी प्रदान करने हेतु प्रयास किए जावें। साथ ही सी.एस.आर. मद से प्रभावित ग्रामों में निवास कर रहें परिवारों के विकलांग, विधवा, बुर्जुग व खासकर अनु. जाति, अनु. जनजाति के व्यक्तियों के लिये शिक्षण व पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की सुनिश्चता करवाई जावे।
9. प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिये बाहरवीं तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, जो छात्र व छात्रा मेधावी हैं, उन्हें उच्च शिक्षा हेतु देश के चुनिंदा शैक्षिणक संस्थानों में शैक्षिणिक शुल्क के भुगतान की संपूर्ण व्यवस्था करने की पांबदी सी.एस.आर. मद से करवाना।
10. प्रभावित परिवार के ग्रामों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिये एयरपोर्ट ऑथोरिटी के सी.एस.आर. मद से एक सुसज्जित अस्पताल की व्यवस्था हो जो न्यूनतम शुल्क के साथ उत्कृष्ट सेवायें प्रदान कर सकें।

# अध्याय–9
# सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.)

## 9.1 दृष्टिकोण

समाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) में राहत, निगरानी और संस्थागत उपाय शामिल है, जिसे परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। जिससे प्रस्तावित परियोजना के प्रतिकूल सामाजिक समाघात को समाप्त करने या स्वीकार्य स्तरतक कम किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया सके और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना हैं। राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए यह सामाजिक समाघातशमन योजना (एस. आई.एम.पी.) तैयार की गई है, जिससे नकारात्मक प्रभाव को खत्म या कम किया जा सके तथा साथ साथ सकारात्मक प्रभाव को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

## 9.2 प्रभाव से बचने, प्रतिकार करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

### 9.2.1 सामाजिक उपाय

- राज्य में भूमि विभाजन को लेकर आज भी बंटवारा मौखिक रुप से ही किया जाता है। जिस पर मौखिक रुप से हुए बंटवारे के अनुसार लोग काबिज हो जाते हैं। लेकिन जब कभी सरकार या किसी विकास कार्य हेतु भूमि अवाप्ति करती है तो पारिवारिक, सामाजिक विवाद की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार के तमाम मतभेद/विवादास्पद मामलों में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी/भू–अवाप्ति अधिकारी को समस्या निवारण हेतु निर्देशित कर विवादों का निवारण कराया जाना चाहिये। अन्त में यह सुनिश्चित किया जाए कि कानूनी मालिकों को उचित मुआवजा दिया जावे।
- महिलाओं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास उनकी निर्णय लेने में भागीदारी को सुनिश्चित करके, परम्परागत कौशलता को बेहतर बनाकर एवं नये कौशल का विकास के द्वारा किया जाना चाहिये।
- परियोजना प्रभावित परिवारों को सर्वेक्षण के समय, कुल मुआवजे की राशि, भुगतान की विधि आदि के बारे में स्पष्ट रूप में संवाद करने की आवश्यकता है। बीच में किसी भी मध्य पुरुष/बिचोलियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए।

### 9.2.2 पुनर्वास उपाय

परियोजना में भूमि अवाप्ति अन्तर्गत कुछ परिवारों की सम्पूर्ण जमीन जा रही हैं। अतः परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अवाप्ति के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की जरुरत होगी।

### 9.2.3 पुनर्व्यवस्थापन उपाय

- भूमि अवाप्ति पश्चात्, परियोजना से प्रभावित परिवारों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जावे ताकि वह अपना जीवनयापन कर सके। कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ साथ पर्याप्त सहयोग की भी आवश्यकता होगी।
- परियोजना संचालन/निर्माण चरण के दौरान गांवों के श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाना चाहिये क्योंकि परियोजना अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के पश्चात् लोगों के पास भूमि कम हो जायेगी।
- क्षेत्र में खेती को व्यावसायिक रुप में विकसित किया जाना चाहिये ताकि प्रभावित परिवारों की बची हुई जमीन में अधिक आर्थिक लाभ मिल सके।

### 9.2.4 आर्थिक उपाय

- सार्वजनिक सम्पत्ति के रुप में रास्ते (पक्की सड़क) के अवाप्ति से परियोजना क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे। इसका प्रभाव उन भू–स्वामियों पर होगा जिनकी शेष भूमि रहेगी एवं वहां जाने हेतु रास्ता नहीं बचेगा। अतः इन किसानों को खेत पर जाने के लिए कोई नजदीकी रास्ते की व्यवस्था कराई जावे।
- परियोजना द्वारा कृषि भूमि की अवाप्ति से प्रभावित परिवारों को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016(RFCTLAR&R) के तहत उचित मुआवजा दिया जावे।

### 9.2.5 पर्यावरणीय उपाय

- परियोजना निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई होगी है अतः उसके निवारण हेतु पेड़ लगाये जाने की योजना निर्माण कर क्रियान्वित कराया जाना चाहिये।
- परियोजना के निर्माण चरण के दौरान कम से कम प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए भी निर्णय लिया जाना चाहिए।

## 9.3 पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना (Rehabilitation & Resettlement Planning-RP/R & R)

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत इस परियोजना का विस्तार परियोजना के अन्तर्गत जिन भू स्वामियों की कृषि भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है उनसे होने वाली क्षति के बारे में चर्चाऍं की गई। इस भू–अवाप्ति से बाड़मेर ग्रामीण तहसील के तीन राजस्व ग्रामों के मुख्य खातेदारी के खातेदार/हिस्सेदार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित खातेदारी में लोग कृषि पर निर्भर हैं इस परियोजना क्षेत्र मे कई परिवार खेती करते हैं। इन परिवारों के पास इस भूमि के अतिरिक्त ग्राम में अन्य स्थानों पर खेतीहर भूमि है। जो भूमि अधिग्रहित की जाने वाली है उसमें सभी वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित खातेदारों को राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से होने वाली क्षति पूर्ति हेतु लोगों से चर्चा करते हुए एक राहत योजना/प्रबन्धन योजना भी तैयार की गई।

इस प्रकार खातेदारों को भूमि अधिग्रहण से होने वाले नुकसान/क्षति को कम करने के लिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में शामिल किया गया है। प्रतिकूल प्रभावों के निवारण हेतु रणनीति प्रस्तुत की गई

है। यह बहुत स्पष्ट है कि वर्ग अनुसार खातेदारों के पुनर्व्यवस्थापन की योजना की अनुपालना आवश्यक है। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में छोटी सी चूक कालान्तर में नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। कई बार भूमि विभाजन को लेकर परिवारों में मौखिक रुप से बंटवारे कर दिये जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिवारों में विवादास्पद स्थितियां बन जाती हैं। नियम व अधिनियम अनुसार लोगों का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (Rehabilitation & Resettlement (R&R)इस प्रकार हो कि इसके सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact) परिवार/लोगों पर हो।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत प्रभावित लोगों से चर्चा कर उनके विचार अनुसार एस.आइ.एम.पी तैयार किया गया है। जो लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में मददगार हो सकता है।

**तालिका 9.3.1**
**विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण और उनके प्रस्तावित उपाय**

| क्र.सं. | प्रभाव का प्रकार | स्थिति | प्रस्तावित शमन योजना |
|---|---|---|---|
| 1 | भूमि का नुकसान | हाँ | राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उचित मुआवजे की राशि समय पर उपलब्ध कराना। |
| 2 | बिल्ट–अप प्रोपर्टी का नुकसान | नहीं | कोई संरचना प्रभावित नहीं है। |
| 3 | उत्पादक सम्पत्ति का नुकसान | नहीं | प्रभावित नहीं |
| 4 | आजीविका का नुकसान | हाँ | • कृषि भूमि अधिग्रहण से कुछ समय के लिए आय नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देना।<br>• रोजगार के अवसर प्रदान करना। |
| 5 | सार्वजनिक उपयोगिता की चीजों की हानि (रास्तों पर प्रभाव) | हाँ | रास्तों का प्रभावित होना। सरकार को इसका विकल्प देना चाहिये। |
| 6 | सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों की हानि | नहीं | – |
| 7 | सांस्कृतिक गुणों में नुकसान | हाँ | • भूमि अधिग्रहण से लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। |

# सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी) हेतु ग्राम स्तरीय बैठक

समाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन (एस.आई.ए.) के दौरान ग्राम स्तरीय बैठक में प्रभावित भू–स्वामियों से चर्चा की गई। इस परियोजना हेतु भूमि आवाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से लगभग 222 खातेदार/हिस्सेदार परिवार (परियोजना प्रभावित परिवार) प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित भू–स्वामियों से की गई चर्चानुसार सभी ने अपने विचार बताये। प्रभावित भू–स्वामियों के विचारों/सुझावों को सम्मिलित करते हुए सामाजिक समाघात प्रभाव योजना तैयार की गई।

जन–सुनवाई

# सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी)

| क्रम संख्या | सामाजिक समाघात आकलन बिन्दु | शमन योजना | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| **सामान्य व अन्य पिछड़े जाति के प्रभावित परिवारों हेतु प्रबन्धन योजना** | | | |
| 1 | कृषि भूमि का अधिग्रहण | • नियमानुसार उचित मुआवजा राशि दिलवाना।<br>• वर्तमान में क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि दी जाए। | |
| 2 | पुनर्स्थापना का कार्य | • प्रभावित परिवारों के इच्छुक युवक/व्यस्क को कार्य/रोजगार हेतु लोन/ऋण दिलवाना।<br>• संरचनाओं का उचित मुआवजा राशि दिलवाना।<br>• बी.पी.एल से जोड़ना।<br>• भामाशाह योजना में नाम जुड़वाना।<br>• खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराना।<br>• रोजगार के अवसर प्रदान कराना। (सरकारी योजना–मनरेगा, श्रमिक योजना इत्यादि) | परिवार की आय, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। |
| 3 | आजीविका/जीवन यापन की चुनौती होना | • प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान कराना। (सरकारी योजना –मनरेगा, श्रमिक योजना इत्यादि)<br>• स्वास्थ्य योजनाओं जैसे– आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा इत्यादि जोड़ा जा सकता है।<br>• प्रत्येक प्रभावित परिवार से एक युवक/व्यस्क/विधवा को इस परियोजना में रोजगार दिलाना।<br>• पेंशन योजना द्वारा लाभ सुनिश्चित कराना।<br>• प्रभावित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराना ताकि प्रभावित परिवार को सस्ती दर पर राशन सामग्री प्राप्त हो सके।<br>• किसी प्रकार के मासिक भत्ता का भी प्रावधान कराया जाना चाहिये। | |
| 4 | भू–अधिग्रहण पश्चात् कुछ परिवारों के सामने पलायन की स्थिति पैदा होना। | • जिन भू–स्वामियों भूमि आवाप्त की गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रशासन द्वारा रोजगार एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कराना।<br>• इस परियोजना के अर्न्तगत जिन प्रभावित परिवारों का आवास का अधिग्रहण किया जा रहा है उसके लिये जिला प्रशासन व जे.पी.एम.आई.ए. इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत उनकी आवश्यता को देखते हुए नियमानुसार पक्के मकान मय शोचालय व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जावें | प्रभावित भू–स्वामियों को भूमि आवंटन की प्राथमिकता रखना चाहिये। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • जिन परिवारों का 100 प्रतिशत भूमि भी इस परियोजना के अर्न्तगत अधिग्रहण की जा रही हैं उन्हें जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार जमीन का मुआवजा डी.एल.सी. से न देकर बाजार भाव से मुआवजे का भुगतान किया जावें। | |
| 5 | पशुपालन प्रभावित होना | • पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित नस्ल सुधार योजना से किसान व पशुपालक परिवारों को जोड़ना<br>• प्रत्येक प्रभावित ग्राम में कम से कम एक सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोल कर उन्नत नस्ल के दुधारु पशु उपलब्ध करवाने के सतत प्रयास करने की सुनिश्चता।<br>• समय समय पर प्रभावित ग्रामों में पशुपालन विभाग द्वारा कैम्प लगाकर पशुओं की मौसमी बीमारियों की जांच कर ईलाज की सुनिश्चत व्यवस्था कर कम कीमत पर पशु दवाएं उपलब्ध कराना।<br>• डेयरी योजना से जोड़ना एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था करवाई जावें ।<br>• राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नई दिल्ली भारत सरकार व राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से पशुपालन पर आधारित परिवारों को डेयरी प्रबंधन व संचालन का प्रशिक्षण दिलवाकर इन दोनों विभागों से सस्ते दर पर सबसिडरी ऋण के माध्यम से उन्हें स्वयं रोजगार दिलवाना।<br>• प्रभावित परिवारों में से इच्छुक व्यक्तियों में से पशुपालन हेतु प्रोत्साहन एवं सहयोग देना।<br>• पशुपालन विभाग के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पशुपालकों तक पहुंचाना।<br>• राजस्थान आजीविका एवं स्वरोजगार मिशन से प्रशिक्षण दिलवा कर उन्हें पशु पालन हेतु स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक से ऋण उपलब्ध करवाना। | |
| 6 | परिवार के युवक/व्यस्क के सामने रोजगार की चुनौती | • युवाओं को रोजगार से जोड़ना एवं क्षेत्र में प्रशिक्षण करा कर रोजगार के अवसर प्रदान करना।<br>• किसी भी योजना/संगठन/एजेंसी से जोड़ते हुए रोजगार के अवसर दिलाना।<br>• प्रभावित परिवारों में से एक युवक/व्यस्क को परियोजना क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान प्राथमिकता से रोजगार दिलवाना।<br>• इस परियोजना के आरंभ पश्चात् प्रत्येक प्रभावित परिवार में से कम से कम एक सदस्य को योग्यता के अनुसार स्थाई नौकरी उपलब्ध कराना।<br>• युवाओं के लिए जन मित्र पोर्टल खोला जा सकता है। | |

# समय सारणी

| क्र. संख्या | मुद्दे | 40 वर्ष पूर्व | 20 वर्ष पूर्व | 10 वर्ष पूर्व | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पेयजल | • जोहड़ से ही पानी पीते थे।<br>• कुछ नये कुए भी खोदे गये। | • कुछ कुए से पीने लगे<br>• 1998 में हैण्डपम्प लगा था। | • कुऍं से पानी पीना।<br>• एक किसान द्वारा ट्यूबवैल | • ट्यूबवैल<br>• सरकार द्वारा पेयजल की टंकी लगा दी है<br>• मोहल्ला टेपपोस्ट की सुविधा |
| 2. | स्वच्छता | • स्नान भी कभी कभी नहीं करते थे।<br>• कपड़े सिर्फ पानी से ही धोते थे।<br>• हाथ धोने के लिए पानी या मिट्टी का उपयोग करते थे।<br>• खान–पान की स्वच्छता भी कम ही थी। | • स्नान भी कभी कभी नहीं करते थे।<br>• कपड़े सिर्फ पानी से ही धोते थे।<br>• हाथ धोने के लिए मिट्टी व चूल्हें की बानी/राख का उपयोग करने लगे।<br>• खान–पान की स्वच्छता भी तुलनात्मक बदलाव आया। | • लगभग गांव के लोग स्नान करने लगे। क्योंकि लोग कमाने/मजदूरी के लिए बाहर जाने लगे।<br>• कपड़े सिर्फ साबुन से धोने लगे हैं।<br>• हाथ धोने के लिए मिट्टी का उपयोग करते थे।<br>• खान–पान की स्वच्छता भी तुलनात्मक बदलाव आया। | • लगभग गांव के लोग स्नान करने लगे।<br>• कपड़े सर्फ व साबुन से धोने लगे हैं।<br>• हाथ धोने के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं तो कुछ साबुन का उपयोग करने लगे हैं।<br>• खान–पान की स्वच्छता भी काफी हद तक बदलाव आया। |
| 3. | भोजन | • ज्वार, बाजरा, ज्यादा उपयोग करते थे।<br>• सायंकाल में सभी घरों में राब ही बनाते थे जिसमें समय भी कम लगता था। | • भोजन में ज्यादा बदलाव नहीं आया और ज्वार, बाजरा, मक्का, ही उपयोग करते थे।<br>• सायंकाल में सभी घरों में राब ही बनाते थे। | • लोगों का खेती की तरफ से रुझान कम हुआ।<br>• भोजन में ज्यादा बदलाव आया क्योंकि लोग कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो बाजार में उपलब्ध चीजों की ओर रुझान बढ़ा।<br>• सायंकाल में परिवारों में रोटी बनाने लगे। | • लोग कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो बाजार में उपलब्ध चीजों की ओर रुझान बढ़ा।<br>• लोगों की आय बढ़ने लगी तो बाजार में बनी खाद्य–वस्तुए घर तक लाने लगे है।<br>• सायंकाल में परिवारों में रोटी बनाने लगे इसके अतिरिक्त खाद्य–पकवानों की ओर रुझान बढ़ा है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बीमारी<br><br>(स्वास्थ्य) | • सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे। कुछ परिवार इलाज नहीं कराते थे<br>• देवी देवताओं पर ज्यादा निर्भर थे।<br>• बीमारियों मे झाड़फूंक पर ज्यादा विश्वास था। | • सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे।<br>• देवी देवताओं पर ज्यादा निर्भर थे।<br>• बीमारियों मे झाड़फूंक पर ज्यादा विश्वास था।<br>• आर्थिक समस्या होना। | • सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे।<br>• देवी देवताओं की आस्था एवं विश्वास।<br>• बीमारियों मे झाड़फूंक पर ज्यादा ध्यान था।<br>• जापा हेतु कुछ महिलाओं का अस्पताल में जाना।<br>• मेडिकल पर जाकर सामान्य दवाऍं लाना। | • सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे।<br>• देवी देवताओं की आस्था एवं विश्वास।<br>• बीमारियों मे झाड़फूंक को करवाना।<br>• मेडिकल पर जाकर सामान्य दवाऍं लाना।<br>• डाक्टर के पास जाना।<br>• जापा हेतु लगभग सभी महिलाओं को अस्पताल में जाना। |
| 5. | मकान | • मकानों की बनावट – अधिकतम कच्चे मकान बनाये जाते थे कारण आय के साधन नहीं होना। | समय में बदलाव के अनुसार कुछ एक लोगों आधे कच्चे पक्के मकान बनाये। कारण आय का कम होना है। लेकिन कुछ लोगों ने पक्के मकान बनाने के बारे में महसूस किया। | समय में और बदलाव आया एवं उसके अनुसार कुछ एक लोगों और आधे कच्चे पक्के मकान बनाये। वहीं कुछ पक्के मकान भी बनाने लगे। | गांव के विस्थापन के कारण अभी लगभग सभी घर पक्के बनाये जा रहे है।<br><br>प्रति वर्ष कुछ लोग स्वतः ही पक्के मकान बनाने लगे हैं। जागरुकता भी बढ़ी है। |
| 6. | शिक्षा | • गांवों में अधिकतम लोग अनपढ़ थे।<br>• गांव में 30 वर्ष पूर्व एक–दो ही व्यक्ति पढ़ने गये।<br>• महिला शिक्षा को ठीक नहीं मानते थे।<br>• लोगों की महिला शिक्षा के बारे में विश्वास भी नहीं था। | • गांव का 30 वर्ष पहले 2 व्यक्तियो ने पहली बार कक्षा 10 तक पढ़ाई की।<br>• गांव में स्कूल है लेकिन पढ़ने का रुझान कम ही रहा।<br>• महिला शिक्षा को ठीक नहीं मानते थे। | • गांव में स्कूल था लेकिन बच्चों कापढ़ने का भी रुझान कम ही रहा।<br>• महिला शिक्षा के बारे में सोचने लगे। | • गांव में स्कूल खुले हैं तो बच्चे स्कूल जाने लगे।<br>• लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या नहीं के बराबर है।<br>• महिला शिक्षा के बारे में सोचने लगे एवं लड़कियां एवं गांव के करीब करीब लड़के विद्यालय जा रहे हैं।<br>• शिक्षा की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। क्योंकि कालेज शिक्षा वाले लड़के कम ही बताये गये।<br>• बदलाव देखा गया जो कि लड़के एवंलड़कियां कक्षा 1 से 12 में अध्ययन कर रहे हैं। |

# मौसमी चित्रण

| क्रम संख्या | विषय / मुद्दे | जनवरी पौष– माघ | फरवरी माघ– फाल्गुन | मार्च फाल्गुन– चैत्र | अप्रेल चैत्र– वैशाख | मई वैशाख– ज्येष्ठ | जून ज्येष्ठ– आषाढ़ | जुलाई आषाढ़– श्रावण | अगस्त श्रावण– भाद्रपद | सितम्बर भाद्रपद– आसोज | अक्टूबर आसोज– कार्तिक | नवम्बर कार्तिक– मार्गशीर्ष | दिसम्बर मार्गशीर्ष– पौष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बीमारिया | निमोनिया, सर्दी–जुका, बुखार | सर्दी– जुकाम, | सर्दी– जुकाम, बुखार, श्वांस | – | लू, बुखार, उल्टी | लू, बुखार, दस्त | उल्टी–दस्त, हैजा, आंखो की बीमारी, बुखार | उल्टी–दस्त, हैजा, बुखार, आंखो की बीमारी | सर्दी–जुकाम, बुखार, श्वांस | – | – | निमोनिया, सर्दी–जुकाम, बुखार, श्वांस, माता |
| 2. | शादी / विवाह | – | 15 के बाद आरम्भ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ सावा हो तो | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं (देव उठनी एकादशी के बाद) | हाँ | 15 बाद नहीं के |
| 3. | कृषि कार्य एवं भार | फसल की रखवाली, पानी की पिलाई | फसल काटना | फसल काटना | नहीं | नहीं | 15 जून के बाद जुताई कार्य करना | फसल लगाना | खेती में निराई –गुडाई का कार्य होना। | | फसल काटना | निराई गुडाई, खेत में पानी देना | पानी की पिलाई, फसल की रखवाली |
| 4. | आर्थिक भार | बीमारी, त्यौहार | शादी,खेती, | शादी, खेती, कटाई, मजदूरी | – | बीमारी | बीमारी, | बीमारी, बीज,खाद ,खेती मजदूरी | बीमारी, | बीमारी | – | बीमारी, कृषि विवाह | बीमारी, कृषि विवाह |
| 5. | पलायन | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | त्यौहार | सकरान्ति | | होली, शीतलाष्टमी | गणगौर | | | | रक्षा बन्धन | नवरात्रा | छीपावली | | |

# अध्याय–10
# जन–सुनवाई

## 10.1 जन–सुनवाई

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानानुसार उत्तरलाई एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार हेतु भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के लिए 25.4785 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति के क्रम में नियमानुसार सामाजिक समाघात प्रभाव (एस.आई.ए.) अध्ययन की प्रतिक्रिया हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

| क्रम | गांव का नाम | तहसील | दिनांक | स्थान | समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चकलाणी, बेरीवाला गांव एवं लालाणियों की ढाणी | बाड़मेर ग्रामीण | 30-01-2025 | ग्राम पंचायत कुडला, तहसील–बाड़मेर ग्रामीण | प्रातः 11.00 बजे से |

श्रीमान् वीरमा राम, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर ने जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट करने लिये आमंत्रित किया। उनके द्वारा इस परियोजना से प्रभावित काश्तकारों/खातेदारों पर पड़ने वाले सामाजिक समाघात के बारे में चर्चा की गई एवं इस परियोजना के लाभ एवं सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। जनसुनवाई में काश्तकारों द्वारा लिखित/मौखिक रुप से कुछ मुख्य मुद्दे रखे गये जो निम्नानुसार हैं।

| क्रम | प्रश्नकर्त्ता | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामवासी निवासी कुडला | अवाप्त की जाने वाली भूमि की डीएलसी रेट बढ़वाने बाबत् |
| 2 | ग्रामवासी निवासी बेरीवाला गांव एवं चकलाणी | अवाप्त की जाने वाली भूमि की डीएलसी रेट बढ़वाने बाबत् |
| 3 | खातेदार खसरा संख्या 665/4 ग्राम बेरीवाला | ग्राम बेरीवाला गांव के खसरा संख्या 665/4 की भूमि की पैमाईश करवाकर अवाप्त होने वाली भूमि को सम्मिलित करने बाबत् |
| 4 | खातेदार खसरा संख्या 81/13 ग्राम चकलाणी | खसरे की संपूर्ण भूमि अवाप्त करने बाबत् |
| 5 | फूसाराम पुत्र शेराराम | अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा दिलवाने बाबत् |
| 6 | प्रकाश माली पुत्र चंपाराम | ग्राम लालाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 889/385 की रहवासी खसरे की भूमि को छोड़कर सामने स्थित खसरे की भूमि अवाप्त करने बाबत् |
| 7 | बाबु सिंह पुत्र भीखसिंह निवासी रावला खुडा, आजाद चौक बाडमेर | ग्राम लालाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 889/385 में अवाप्त हो रही भूमि का रकबा कम अंकित होने एवं भूमि में स्थित आवासीय ढाणी, टांका, दीवार आदि का मुआवजा दिलवाने बाबत् |

आयोजित जन–सुनवाई में श्रीमान् नोडल अधिकारी (अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर), भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर, तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण, एवं एसआईए संस्था प्रभु फाउण्डेशन के प्रतिनिधि

श्री रामयश चौबे, कॉर्डिनेटर अशोक कुमार दुबे एवं रमेश राणावत, संबंधित हल्के के भू. अभि. निरीक्षक एवं पटवारी तथा प्रभावित खातेदार उपस्थित रहे।

प्रभावित खातेदारों द्वारा प्राप्त आपत्तियों/सुझाव/प्रश्नों के संबंध में श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि हेतु मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में नियमानुसार राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं नियम 2016 के प्रावधानों अनुसार दी जायेगी। मुआवजा भुगतान से पूर्व उस क्षेत्र से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों /काश्तकारों/खातेदारों/परिवारों के साथ भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित की जाने वाली कमेटी के द्वारा उनकी आपत्तियों को निर्धारित समय में नियमानुसार निराकरण कर मुआवजे का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। सभी काश्तकारों को पटवारी से संपर्क कर अपनी जमाबंदी में आवश्यक संशोधन जैसे नामान्तरकरण आदि की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया गया है।

जन–सुनवाई से संबंधित बैठक कार्यवाही विवरण एवं उपस्थिति पत्रक की प्रति इस प्रतिवेदन के अंत में संलग्न है।

**10.2 जन–सुनवाई के आयोजन से संबंधित कुछ छलचित्र :**

kinley

# Office Order

राजस्थान–सरकार

## कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर

क्रमांकः–भूमि अवाप्ति/2024/142 दिनांकः–09.12.2024

### कार्यादेश

PRABHU FOUNDATION
RUBY-904, URBANA JEWELS, NEAR MUHANA MANDI GATE NO. 1 SANGANER
JAIPUR

विषयः–उत्तरलाई एयपोर्ट के विकास एवं विस्तार हेतु भारतीय विमानपतन प्राधिकरण को निजी खातेदारी भूमि अवाप्त करने के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु निर्धारित शर्तों पर कार्य शुरू करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि उत्तरलाई एयपोर्ट के विकास एवं विस्तार हेतु भारतीय विमानपतन प्राधिकरण को निजी खातेदारी भूमि अवाप्त करने के संबंध में सामाजिक समाघात आंकलन का निर्धारण करने हेतु आपकी फर्म की बोली न्यूनतम होने से आपकी फर्म का चयन किया गया है। जिसको निम्न अनुसार कार्य संपादन किया जाना हैं–

दर– 800/–रूपये प्रति परिवार एवं जीएसटी।

कार्यक्षेत्र–नागरिक उडड़न विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक–प.2(2)नाउ/2019 जयपुर दिनांक–20.09.2024 में अंकित विवरण अनुसार।

शर्तें–

1. फर्म द्वारा परियोना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार करावें।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जाकर जनसुनवाई एवं अन्य कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जाएं।
3. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाली आपत्तियों/सुझावों के समाधान को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की जाएं।
4. कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक–10.12.2024।
5. कार्य आज दिनांक से 20 दिवस के भीतर पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6. 05 दिवस में नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प राशि रूपये 500/–पर अनुबंध प्रस्तुत करें।
7. परिवार की गणना जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के अनुसार की जाएगी, एक से अधिक खसरा होने पर एक ही खातेदार (परिवार) माना जाएगा, सर्वे कार्य के दौरान जमाबंदी में दर्ज खातेदार के फौत होने पर उसके विधिक वारिसानों को खातेदार (परिवार) के रूप में शामिल किया जाएगा।
8. कार्य पूर्ण होने पर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(वीरमा राम)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बाड़मेर

क्रमांकः–भूमि अवाप्ति/2024/143 to 145 दिनांकः– 09.12.2024

1. श्रीमान् शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, राजस्व ग्रुप(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर(नोडल अधिकारी) बाड़मेर।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बाड़मेर

पटवार मण्डल - कवास

| ग्राम नाम | खसरा नम्बर | खातेदारों की सूची |
|---|---|---|
| चकलाणी | 5 | 1. ईश्वरसिंह पुत्र गिरधरसिंह हिस्सा- 1/128 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 2. उगमसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 3. कूंपसिह पुत्र भीखसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 4. खंगारसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 5. गेनसिंह पुत्र तेजसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 6. गुलाबसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 7. चतरसिंह पुत्र झण्डसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 8. जूंजारसिह पुत्र जवानसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 9. जेठमालसिंह पुत्र उदयसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 10. जैतमालसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 11. ढेलकंवर पत्नि भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 12. तखतसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 13. देवीसिंह पुत्र हिन्दूसिंह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 14. नरपतसिह पुत्र गजेसिह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 15. नारायणसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 16. पदमसिह पुत्र भीखसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 17. प्रतापसिंह पुत्र रावतसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 18. प्रवीणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 19. पवनकंवर पुत्री तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 20. पीरसिह पुत्र अर्जुनसिह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 21. पीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 22. फतेहसिंह पुत्र सांवलसिंह हिस्सा- 1/32 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 23. बदनकंवर पत्नि तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 24. बहादुरसिह पुत्र राजसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 25. भंवरसिंह पुत्र जेपालसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 26. मदनसिह पुत्र गजेसिह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 28. मेवसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 27. मेवसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 29. महेन्द्रसिंह पुत्र गिरधरसिंह हिस्सा- 1/128 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 30. रसालकंवर पत्नि मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 31. विशनसिंह पुत्र हिन्दूसिंह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 32. समन्दरसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 33. हुकमसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 34. हेवसिंह पुत्र राजसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 35. हेमकंवर पुत्री अर्जुनसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 36. हरीसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 37. हाकमसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार, |
| चकलाणी | 67/4 | 1. ईश्वरसिंह पुत्र गिरधरसिंह हिस्सा- 1/128 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 2. उगमसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 3. कूंपसिह पुत्र भीखसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 4. खंगारसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 5. गेनसिंह पुत्र तेजसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 6. गुलाबसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 7. चतरसिंह पुत्र झण्डसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |

37

| | | |
|---|---|---|
| | | 8. जूंजारसिह पुत्र जवानसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 9. जेठमालसिंह पुत्र उदयसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 10. जैतमालसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 11. ढेलकंवर पत्नि भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 12. तखतसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 13. देवीसिंह पुत्र हिन्दूसिंह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 14. नरपतसिह पुत्र गजेसिह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 15. नारायणसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 16. पदमसिह पुत्र भीखसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 17. प्रतापसिंह पुत्र रावतसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 18. प्रवीणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 19. पवनकंवर पुत्री तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 20. पीरसिह पुत्र अर्जुनसिह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 21. पीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 22. फतेहसिंह पुत्र सांवलसिंह हिस्सा- 1/32 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 23. बदनकंवर पत्नि तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 24. बहादुरसिह पुत्र राजसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 25. भंवरसिंह पुत्र जेपालसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 26. मदनसिह पुत्र गजेसिह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 28. मेवसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 27. मेवसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 29. महेन्द्रसिंह पुत्र गिरधरसिंह हिस्सा- 1/128 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 30. रसालकंवर पत्नि मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 31. विशनसिंह पुत्र हिन्दूसिंह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 32. समन्दरसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 33. हुकमसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 34. हेवसिंह पुत्र राजसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 35. हेमकंवर पुत्री अर्जुनसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 36. हरीसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 37. हाकमसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार, |
| चकलाणी | 37/4 | 1. ईश्वरसिंह पुत्र गिरधरसिंह हिस्सा- 1/128 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 2. उगमसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 3. कूंपसिह पुत्र भीखसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 4. खंगारसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 5. गेनसिंह पुत्र तेजसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 6. गुलाबसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 7. चतरसिंह पुत्र झण्डसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 8. जूंजारसिह पुत्र जवानसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 9. जेठमालसिंह पुत्र उदयसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 10. जैतमालसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 11. ढेलकंवर पत्नि भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 12. तखतसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 13. देवीसिंह पुत्र हिन्दूसिंह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |

37

| | | |
|---|---|---|
| | | 14. नरपतसिह पुत्र गजेसिह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 15. नारायणसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 16. पदमसिह पुत्र भीखसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 17. प्रतापसिंह पुत्र रावतसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 18. प्रवीणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 19. पवनकंवर पुत्री तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 20. पीरसिह पुत्र अर्जुनसिह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 21. पीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 22. फतेहसिंह पुत्र सांवलसिंह हिस्सा- 1/32 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 23. बदनकंवर पत्नि तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 24. बहादुरसिह पुत्र राजसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 25. भंवरसिंह पुत्र जेपालसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 26. मदनसिह पुत्र गजेसिह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 28. मेवसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 27. मेवसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 29. महेन्द्रसिंह पुत्र गिरधरसिंह हिस्सा- 1/128 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 30. रसालकंवर पत्नि मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 31. विशनसिंह पुत्र हिन्दूसिंह हिस्सा- 1/80 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 32. समन्दरसिह पुत्र भगसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 33. हुकमसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा.कुङला खातेदार |
| | | 34. हेवसिंह पुत्र राजसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 35. हेमकंवर पुत्री अर्जुनसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 36. हरीसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| | | 37. हाकमसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/800 जाति- राजपूत सा. कुङला खातेदार |
| चकलाणी | 81/13 | 1. अभयसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा- 1/40 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 2. अवतारसिह पुत्र शेरसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 3. उगमकंवर पत्नि वनेसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 4. उगमसिह पुत्र इन्द्रसिह हिस्सा- 1/40 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | राहिन हिस्सा-1/40 ( खसरा सं- 104/13 विना रहन ) भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा |
| | | 5. किरणकंवर पत्नि कंवराजसिह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 6. खेतसिह पुत्र शेरसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 7. गंगासिंह पुत्र रेंवन्तसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 8. जगपालसिह पुत्र वनेसिह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 9. जुंझारसिंह पुत्र रेंवन्तसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 10. जतनकंवर पत्नि शेरसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 11. जवरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा- 1/40 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 12. जयसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 13. तखतसिह पुत्र शेरसिह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 14. पवनकंवर पत्नि मोहनसिह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 15. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र कंवराजसिह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 16. पारसकंवर पत्नि रूपसिह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 17. बाबूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा- 1/40 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 18. भुपेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 19. भभूतसिह पुत्र इन्द्रसिह हिस्सा- 1/40 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |

| | | |
|---|---|---|
| | | 20. मलसिह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 21. राजेन्द्रसिंह पुत्र कंवराजसिह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 22. रामसिह पुत्र इन्द्रसिह हिस्सा- 1/40 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 23. रायकंवर पत्नि रेंवन्तसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 24. लेरकंवर पत्नि वीरसिह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 25. शिवसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा- 1/40 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 26. शोभसिह पुत्र इन्द्रसिह हिस्सा- 1/40 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 27. सरूपकंवर पुत्री वीरसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 28. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार, |
| चकलाणी | 51/16 | 1. उगमसिंह पुत्र रिङमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 2. उदयसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 3. कुंवरकंवर पत्नि रिङमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 4. किशोरसिंह पुत्र भाखरसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 5. गुलाबकंवर पत्नि वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 6. गुलाबसिंह पुत्र रिङमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 7. घनश्यामसिंह पुत्र विशनसिह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 8. चैनसिह पुत्र जालमसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 9. जीकंवर पत्नि पद्मसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 10. धनसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 11. धापकंवर पत्नि रतनसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 12. नरपतसिंह दत्तक पुत्र तेजसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 13. नारायणसिंह पुत्र रिङमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 14. प्रतापसिंह पुत्र भाखरसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 15. पूरसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 16. बनेसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 17. बालसिंह पुत्र रिङमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 18. भभूतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 19. भाखरसिंह पुत्र रिङमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 20. मेवसिंह पुत्र कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 21. महेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 22. मोरकंवर पत्नि कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 23. मोहनसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/108 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 24. रणजीतसिह पुत्र वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 25. रेंवन्तसिंह पुत्र थानसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 26. राजेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 27. लीलकंवर पत्नि विशनसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 28. शक्तिसिंह पुत्र कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 29. शैतानसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/108 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 30. शिवसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 31. सुगनसिह पुत्र वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 32. सुरेन्द्रसिह पुत्र जालमसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 33. सालमसिंह पुत्र रिङमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |
| | | 34. हेमसिह पुत्र सबलसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाङमेर खातेदार |

35

| | | |
|---|---|---|
| | | 35. हेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार, |
| चकलाणी | 55/21 | 1. उगमसिंह पुत्र रिड्मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 2. उदयसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 3. कुंवरकंवर पत्नि रिडमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 4. किशोरसिंह पुत्र भाखरसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 5. गुलाबकंवर पत्नि वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 6. गुलाबसिंह पुत्र रिड्मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 7. घनश्यामसिंह पुत्र विशनसिह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 8. चैनसिह पुत्र जालमसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 9. जीकंवर पत्नि पद्ममसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 10. धनसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 11. धापकंवर पत्नि रतनसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 12. नरपतसिंह दत्तक पुत्र तेजसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 13. नारायणसिंह पुत्र रिड्मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 14. प्रतापसिंह पुत्र भाखरसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 15. पूरसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 16. बनेसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 17. बालसिंह पुत्र रिड्मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 18. भभूतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 19. भाखरसिंह पुत्र रिड्मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 20. मेवसिंह पुत्र कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 21. महेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 22. मोरकंवर पत्नि कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 23. मोहनसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/108 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 24. रणजीतसिह पुत्र वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 25. रेंवन्तसिंह पुत्र थानसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 26. राजेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 27. लीलकंवर पत्नि विशनसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 28. शक्तिसिंह पुत्र कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 29. शैतानसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/108 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 30. शिवसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 31. सुगनसिह पुत्र वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 32. सुरेन्द्रसिह पुत्र जालमसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 33. सालमसिंह पुत्र रिड्मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 34. हेमसिह पुत्र सवलसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 35. हेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार, |
| चकलाणी | 57/29 | 1. उगमसिंह पुत्र रिड्मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 2. उदयसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 3. कुंवरकंवर पत्नि रिडमलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 4. किशोरसिंह पुत्र भाखरसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 5. गुलावकंवर पत्नि वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 6. गुलावसिंह पुत्र रिड्मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |
| | | 7. घनश्यामसिंह पुत्र विशनसिह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड्मेर खातेदार |

| | | |
|---|---|---|
| | | 8. चैनसिह पुत्र जालमसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 9. जीकंवर पत्नि पद्मसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 10. धनसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 11. धापकंवर पत्नि रतनसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 12. नरपतसिंह दत्तक पुत्र तेजसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 13. नारायणसिंह पुत्र रिड़मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 14. प्रतापसिंह पुत्र भाखरसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 15. पूरसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 16. बनेसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 17. बालसिंह पुत्र रिड़मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 18. भभूतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 19. भाखरसिंह पुत्र रिड़मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 20. मेवसिंह पुत्र कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 21. महेन्द्रसिंह पुत्र विशनसिह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 22. मोरकंवर पत्नि कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 23. मोहनसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/108 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 24. रणजीतसिह पुत्र वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 25. रेंवन्तसिंह पुत्र थानसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 26. राजेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 27. लीलकंवर पत्नि विशनसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 28. शक्तिसिंह पुत्र कमलसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 29. शैतानसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/108 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 30. शिवसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 31. सुगनसिह पुत्र वीरसिह हिस्सा- 1/324 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 32. सुरेन्द्रसिह पुत्र जालमसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 33. सालमसिंह पुत्र रिड़मलसिंह हिस्सा- 1/42 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 34. हेमसिह पुत्र सबलसिह हिस्सा- 1/12 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 35. हेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/60 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार, |
| चकलाणी | 24 | 1. इन्द्रसिंह पुत्र राणसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 2. ईश्वरसिह पुत्र सवाईसिह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 3. उत्तमसिंह पुत्र हिन्दूसिंह हिस्सा- 1/320 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 4. उदेकंवर पत्नि हिन्दूसिंह हिस्सा- 1/320 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 5. उदेसिंह पुत्र परवतसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 6. करणसिंह पुत्र परवतसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 7. कसूम्बकंवर पत्नि मलसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 8. किशोरसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 9. खीमकंवर पत्नि जेठमालसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 10. गणपतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 11. गेनसिंह पुत्र सवाईसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 12. गुमानसिंह पुत्र आसकरणसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 13. गुलाबसिंह पुत्र राणसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |

35

| |
|---|
| 14. गिरधरसिंह पुत्र जेठमालसिह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 15. चुतरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 16. चन्दकंवर पत्नि छतरसिंह हिस्सा- 1/640 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 17. चन्द्रकंवर पत्नि आसकरणसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 18. छगनसिह पुत्र सवाईसिह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 19. छोटूसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा- 1/1280 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 20. जुंझारसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 21. जेठमालसिंह पुत्र कुशलसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 22. जसवन्तसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा- 1/960 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 23. डूंगरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 24. ढेलकंवर पत्नि जैतमालसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 25. तेजमालसिंह पुत्र जीवराजसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 26. तनसिंह पुत्र जैतमालसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 27. दुर्जनसिंह दत्तक पुत्र सबलसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 28. दरियाकंवर पत्नि पाबूदानसिंह हिस्सा- 1/144 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 29. नरेन्द्रसिह पुत्र सवाईसिह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 30. नरपतसिंह पुत्र राणसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 31. पनेसिंह पुत्र भैरसिंह हिस्सा- 1/32 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 32. पपसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा- 1/1280 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 33. प्रभातकंवर पत्नि सवाईसिह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 34. परिक्षतसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/144 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 35. बागसिंह पुत्र मलसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 36. भगवानसिंह पुत्र कुशलसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 37. भेरसिंह पुत्र राणसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 38. मु. श्री कंवर पत्नि पदमसिंह हिस्सा- 1/144 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 39. मलसिह पुत्र हिगोंलसिंह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 40. मूलसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 41. मेवसिंह पुत्र पाबूदानसिंह हिस्सा- 1/144 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 42. महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा- 1/1280 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 43. मोहनसिंह पुत्र पावूदानसिंह हिस्सा- 1/144 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 44. मोहनसिंह पुत्र हिगोंलसिंह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 45. मोहनसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 47. रेखकंवर पत्नि इन्द्रसिंह हिस्सा- 1/48 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 46. रेखकंवर पत्नि फतेहसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 48. रतनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| 49. राणकंवर पत्नि भैरसिंह हिस्सा- 1/32 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |

| | | |
|---|---|---|
| | | 50. रायपालसिंह पुत्र छतरसिंह हिस्सा- 1/640 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 51. रावतसिंह पुत्र जीवराजसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 52. रिशालकंवर पत्नि तनसिंह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 53. लूणसिंह पुत्र मलसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 54. लेहरकंवर पत्नि उम्मेदसिंह हिस्सा- 1/36 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 55. लेहरकंवर पत्नि हेमसिंह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 56. विक्रमसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा- 1/960 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 57. विशनसिंह पुत्र तनसिंह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 58. वीरसिंह पुत्र आसकरणसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 59. वीरसिंह पुत्र पदमसिंह हिस्सा- 1/144 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 60. शैतानसिंह पुत्र हिगोंलसिंह हिस्सा- 1/192 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 61. शाहकंवर पत्नि चन्दनसिंह हिस्सा- 1/16 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 62. सतेसिंह पुत्र जेठमालसिह हिस्सा- 1/96 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 63. समदकंवर पत्नि हरिसिंह हिस्सा- 1/1280 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 64. समदकंवर पत्नि मूलसिंह हिस्सा- 1/960 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार |
| | | 65. हीरसिंह पुत्र जीवराजसिंह हिस्सा- 1/64 जाति- राजपूत सा. बाड़मेर खातेदार, |
| चकलाणी | 101/34 | 1. ईश्वरसिंह पुत्र गिरधरसिंह हिस्सा- 1/128 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 2. ईश्वरसिंह पुत्र कूम्पसिंह हिस्सा- 2557/93936 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 3. उगमसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 4. कमलकंवर पत्नि गिरधरसिंह हिस्सा- 75/15656 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 5. गेनसिंह पुत्र तेजसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपुत सा. कुडला खातेदार |
| | | 6. गुलाबसिंह पुत्र मगसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 7. चतरसिंह पुत्र झण्डसिंह हिस्सा- 2557/15656 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 8. छगनकंवर पत्नि भाखरसिंह हिस्सा- 2549/187872 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 9. जुंजारसिंह पुत्र जवानसिंह हिस्सा- 2557/125248 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 10. जेठमालसिंह पुत्र उदयसिंह हिस्सा- 757/15656 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 11. जैतमालसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 12. ढेलकंवर पत्नि मगसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 13. ढेलकंवर पत्नि भगसिंह हिस्सा- 15/1957 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 14. तखतसिंह पुत्र मगसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 15. तनसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 4957/391400 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 16. दलपतसिंह पुत्र भाखरसिंह हिस्सा- 2549/187872 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| | | 17. देवीसिंह पुत्र हिन्दुसिंह हिस्सा- 2557/156560 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |

65

| |
|---|
| 18. नरपतसिंह पुत्र गजेसिंह हिस्सा- 135/6592 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 19. नारायणसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा- 2557/125248 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 20. पदमसिंह पुत्र भीखसिंह हिस्सा- 2557/31312 जाति- राजपुत सा. कुडला खातेदार |
| 21. प्रतापसिंह पुत्र रावतसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपुत सा. कुडला खातेदार |
| 22. प्रवीणसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 23. पीर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह हिस्सा- 8271/313120 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 24. बहादूरसिंह पुत्र राजसिंह हिस्सा- 1/120 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 25. भंवरसिंह पुत्र उदयसिंह हिस्सा- 757/15656 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 26. मदनसिंह पुत्र गजेसिंह हिस्सा- 135/6592 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 28. मेवसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 27. मेवसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा- 2557/125248 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 29. महेन्द्रसिंह पुत्र गिरधरसिंह हिस्सा- 1/128 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 30. रसालकंवर पत्नि मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 31. विशनसिंह पुत्र हिन्दुसिंह हिस्सा- 2557/156560 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 32. वीरसिंह पुत्र भाखरसिंह हिस्सा- 2549/187872 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 33. श्रवणसिंह पुत्र कूम्पसिंह हिस्सा- 2557/93936 जाति- राजपुत सा. कुडला खातेदार |
| 34. समन्दरसिंह पुत्र मगसिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 35. सूरजकंवर पत्नि कूम्पसिंह हिस्सा- 2557/93936 जाति- राजपुत सा. कुडला खातेदार |
| 36. हुकमसिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा- 1/360 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 37. हेबसिंह पुत्र राजसिंह हिस्सा- 3757/234840 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 38. हेम कँवर पुत्री अर्जुन सिंह हिस्सा- 1/160 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |
| 39. हरीसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा- 1/200 जाति- राजपूत सा. कुडला खातेदार |

39

06.12.2024
पटवारी (भू.अ.) ...
तहसील बाडमेर ग्रामीण

पटवार मण्डल कुड़ला

| नाम ग्राम | खसरा संख्या | खातेदारों की सुची |
|---|---|---|
| बेरीवाला गांव | 661/9 | 1. इमामदीन पुत्र बूढा हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार<br>राहिन हिस्सा-1/4 ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला<br>2. उस्मान पुत्र फाजल हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार<br>राहिन हिस्सा-1/4 ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला<br>3. वारसखां पुत्र दाद हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार<br>राहिन हिस्सा-1/4 ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला<br>4. हुसैन पुत्र फाजल हिस्सा- 1/4 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार, |
| बेरीवाला गांव | 647/15 | 1. चम्पालाल पुत्र भूरचन्द हिस्सा- 1/2 जाति- जैन सा. बाङमेर खातेदार<br>2. पारसमल पुत्र भूरचन्द हिस्सा- 1/2 जाति- जैन सा. बाङमेर खातेदार |
| बेरीवाला गांव | 846/17 | 1. वारसखां पुत्र दादखां हिस्सा- पूर्ण जाति- सिंधी मुसलमान सा. देह खातेदार<br>राहिन ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला |
| बेरीवाला गांव | 840/17 | 1. हुसैनखां पुत्र फाजल हिस्सा- पूर्ण जाति- सिंधी मुसलमान सा. देह खातेदार |
| बेरीवाला गांव | 849/17 | 1. इमामूदीन पुत्र बुढाखां हिस्सा- पूर्ण जाति- सिंधी मुसलमान सा. देह खातेदार<br>राहिन ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला |
| बेरीवाला गांव | 854/18 | 1. चिमाराम पुत्र कानाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>राहिन ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला |
| बेरीवाला गांव | 851/18 | 1. ईशराराम पुत्र रूपाराम हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>2. दुर्गाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>3. बालाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>4. रूगाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>5. शिवजीराम पुत्र रूपाराम हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार |
| बेरीवाला गांव | 855/18 | 1. गुणेशाराम पुत्र भोमाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार |
| बेरीवाला गांव | 890/18 | 1. टीकमाराम पुत्र भोमाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>राहिन ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाखा कुडला |
| बेरीवाला गांव | 892/18 | 1. शेराराम पुत्र भोमाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>राहिन ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला |
| बेरीवाला गांव | 893/18 | 1. चन्द्रप्रकाश पुत्र कालूराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार |
| बेरीवाला गांव | 676/26 | 1. फूसाराम पुत्र शेराराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>राहिन ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला, |
| बेरीवाला गांव | 752/629 | 1. फूसाराम पुत्र शेराराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार<br>राहिन ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कुडला, |

06/12/2024
लक्ष्मणाराम
पटवारी ( भू. अ. ) कुड़ला
तहसील बाड़मेर ग्रामीण

पटवार मण्डल - बाड़मेर मगरा

| ग्राम नाम | खसरा नम्बर | खातेदारों की सूची |
|---|---|---|
| लालानियों की ढाणी | 889/385 | प्रकाश माली पुत्र चम्पालाल हिस्सा- पूर्ण जाति- माली सा. .ढूंढा तह.बाङमेर खातेदार खातेदार |
| | 880/385 | 1. बाबुसिह पुत्र भीखसिह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत नि रावला खुडा, आजाद चौक बाडमेर खातेदार |
| | 891/385 | माधूसिह पुत्र जुगतसिह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुरोहित सा. बाडमेर खातेदार |

188
खातेदार

37, 28, 35, 65, 39, 4, 2, 9, 6, 3

राजस्थान–सरकार

# कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी), बाड़मेर

क्रमांकः–भूमि अवाप्ति / 2025 / 393 दिनांकः– 30.01.2025

## जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

आज दिनांक–30.01.2025 को श्रीमान् नोडल अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर) की अध्यक्षता में उत्तरलाई एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार के लिए 25.4785 हैक्टेयर निजी खातेदारों की भूमि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण हेतु भूमि अवाप्ति के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 5 एवं इस सम्बंध में राज्य सरकार के नियम, 2016 के प्रावधानुसार एवं नियम 7 के तहत सामाजिक समाघात आंकलन के अन्तर्गत जनसुनवाई का आयोजन ग्राम पंचायत कुड़ला, पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण में किया जा गया।

उक्त अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

| क्र संख्या | तहसील | राजस्व ग्राम का नाम | खसरा संख्या | अवाप्ति हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाड़मेर ग्रामीण | चकलानी | 37 / 4 | 2.4119 | बारानी दोयम |
| 2 | | | 67 / 4 | 0.1214 | बारानी दोयम |
| 3 | | | 5 | 17.7009 | बारानी दोयम |
| 4 | | | 81 / 13 | 0.4532 | बारानी दोयम |
| 5 | | | 51 / 16 | 0.0647 | बारानी दोयम |
| 6 | | | 55 / 21 | 0.8013 | बारानी दोयम |
| 7 | | | 24 | 0.2023 | बारानी दोयम |
| 8 | | | 57 / 29 | 0.3885 | बारानी दोयम |
| 9 | | | 101 / 34 | 0.3885 | बारानी दोयम |
| 10 | बाड़मेर ग्रामीण | लालाणियों की ढाणी | 889 / 385 | 0.1295 | बारानी दोयम |
| 11 | | | 880 / 385 | 0.0324 | बारानी दोयम |
| 12 | | | 891 / 385 | 0.0405 | बारानी दोयम |
| 13 | बाड़मेर ग्रामीण | बेरीवाला गांव | 661 / 9 | 0.3237 | बारानी दोयम |
| 14 | | | 647 / 15 | 0.5827 | बारानी दोयम |
| 15 | | | 846 / 17 | 0.0323 | बारानी दोयम |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | 840/17 | 0.1942 | बारानी दोयम |
| 17 | | | 849/17 | 0.1295 | बारानी दोयम |
| 18 | | | 854/18 | 0.1699 | बारानी दोयम |
| 19 | | | 851/18 | 0.1295 | बारानी दोयम |
| 20 | | | 855/18 | 0.2023 | बारानी दोयम |
| 21 | | | 890/18 | 0.1376 | बारानी दोयम |
| 22 | | | 892/18 | 0.1457 | बारानी दोयम |
| 23 | | | 893/18 | 0.0809 | बारानी दोयम |
| 24 | | | 676/26 | 0.0324 | बारानी अव्वल |
| 25 | | | 752/629 | 0.5827 | बारानी अव्वल |
| कुल भूमि हैक्टेयर में | | | | **25.4785** | |

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस परियोजना के बारे में प्रभावित काश्तकारों को अवगत करवाते हुए इस परियोजना से प्रभावित काश्तकारों पर पड़ने वाले सामाजिक समाघात के बारे में चर्चा की गई एवं इस परियोजना के लाभ एवं सुविधाओं के बारे में बताया गया। प्रभु फाउण्डेशन द्वारा इस अवाप्ति के लिए किए गए सामाजिक समाघात आंकलन की रिपोर्ट के बारे में उपस्थित काश्तकारों को बताया गया। जिसमें इस परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का आंकलन किया गया है।

इस परियोजना से प्रभावित होने वाले काश्तकारों से परियोजना हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में आपत्तियां मांगी गई। जिसमें प्रभावित होने वाले काश्तकारों द्वारा कुल 07 आपत्तियां प्रस्तुत की गई। जो अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का उचित मुआवजा दिलवाने, अवाप्त की जाने वाली भूमि की पैमाईश करने, खसरे की संपूर्ण भूमि अवाप्त करने, जमीन की डीएलसी रेट बढाने, अवाप्त भूमि के बदले अन्यत्र भूमि दिलवाने, रहवासी भूमि को परिवर्तित कर कृषि भूमि में से एप्रोच रोड़ निकालने एवं अवाप्त भूमि की तरमीम सही करवाने से संबंधित है।

इस जनसुनवाई में श्रीमान् नोडल अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर), भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर, तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण, प्रभु

फाउण्डेशन के चेयरमैन श्री रामयश चौबे, कॉर्डिनेटर रमेश राणावत, संबंधित हल्के के भू. अभि.निरीक्षक एवं पटवारी तथा प्रभावित काश्तकार उपस्थित हुए।

अंत में जनसुनवाई सधन्यवाद समाप्त हुई।

(वीरमा राम)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बाड़मेर

क्रमांकः–भूमि अवाप्ति/2025/394 to 397 दिनांकः–30.01.2025

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर।
3. श्रीमान् नोडल अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) महोदय, बाड़मेर।
4. प्रभु फाउण्डेशन।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बाड़मेर

# जन सुनवाई

विषय उतरलाई एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार हेतु भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के लिये 25.4785 हैक्टर भूमि अवाप्ति से प्रभावित हितधारको /निजी खातेदारो की सामाजिक समाघात प्रभाव के अंतर्गत जन सुनवाई बैठक

प्रभवित ग्राम–चकलानी बेरीवाला गांव एवं लालाणियो की ढाणी

जन सुनवाई का स्थान–ग्राम पंचायत कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण

दिनांक एवं समय –30.01.2025 को प्रातः 11 बजे

समाजिक समाघात अध्ययन एजेंसीः प्रभू फाउन्डेशन जयपुर

| क्रसं | नाम राजेन्द्र सिंह चंडावत | पद A.D.M | हस्ताक्षर [illegible] | मोबाईल नं. 9414145757 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बिरमाराम जी | S.D.M | [illegible] | 9610686510 |
| 2 | रामलाल जी | तहसीलदार | [illegible] | 9785333911 |
| 3 | तेजकरण चारण | R.I कवास | [illegible] | 9414529427 |
| 4 | चम्पालाल जी ~~[illegible]~~ | RI कुडला | [illegible] | 9414530519 |
| 5 | Ramyash Chaubey | Chairperson | [illegible] | |
| 6 | Ashish Kumar Dudy | P.F. CEO | [illegible] | 94140-46348 |
| 7 | Ramesh Ranawat | Codinator | [illegible] | 6376761613 |
| 8 | Dena Ram | Sarpanch | [illegible] | ~~9849177100~~ 9928343221 |
| 9 | फुसाराम | किसान | फुसाराम | 7726936257 |
| 10 | Punit | farmer | [illegible] | 7568691827 |
| 11 | राजेन्द्र सिंह | farmer | राजेन्द्र सिंह | 6367532595 |
| 12 | शिवासिंह | किसान | शिवासिंह | 9928383239 |
| 13 | Veer Singh | Junior Assistant | [illegible] | 7976594988 |
| 14 | भारूसरवा | किसान | भारूसरवा | 9509518786 |

| क्रसं | नाम | पद | हस्ताक्षर | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | रुगाराम | | रुगाराम | 9829158366 |
| 16 | चैनाराम | | [illegible] | 8560809511 |
| 17 | जुझारसिंह | | जुझारसिंह | 8290147260 |
| 18 | तख्तसिंह | | तख्तसिंह | |
| 19 | भीमाराम | | भीमाराम | 9660598969 |
| 20 | कुन्दनसिंह | | [illegible] | 9460161878 |
| 21 | प्रदीपसिंह | | [illegible] | 9982022409 |
| 22 | पन्नालाल | | [illegible] | 9414107523 |
| 23 | शिवसिंह | | शिवसिंह | 9928383239 |
| 24 | प्रहलाद राम | | प्रहलाद | 9413164179 |
| 25 | Baba Lal | | बाबू लाल | 8426097623 |
| 26 | भवराराम | | [illegible] | 9799408485 |
| 27 | Tejpal Jani | | [illegible] | 7412019992 |
| 28 | किशोर कुमार | | [illegible] | 9461213914 |
| 29 | धमाराम | | [illegible] | 9821407324 |
| 30 | दुदाराम | | [illegible] | 7726936257 |
| 31 | लाल सिंह | किसान | लालसिंह | 9950[illegible]1807 |
| 32 | देवी सिंह | " | [illegible] | 9680816709 |
| 33 | हेम सिंह | " | [illegible] | 9414188862 |
| 34 | [illegible] | | [illegible] | 9549691965 |
| 35 | किशनासिंह | | [illegible] | 9636531821 |
| 36 | ईश्वरसिंह | " | ईश्वरसिंह | 7414883797 |
| 37 | नारायणसिंह | | नारायण | 9982348512 |
| 38 | [illegible] | | [illegible] | 9826818532 |
| 39 | नेपसिंह | " | [illegible] | 9982173241 |
| 40 | [illegible] | | [illegible] | 9521019097 |
| 41 | मदनसिंह | | [illegible] | 9549239320 |
| 42 | Jogendra Singh | | [illegible] | 9079239398 |
| 43 | Jaswant Singh | | [illegible] | 9057858429 |

| क्रसं | नाम | पद | हस्ताक्षर | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Shrawan Singh. | | [illegible] | 9571936877 |
| | Yuvraj singh | | [illegible] | 7877040225 |
| | Kundan Singh | | [illegible] | 9024560834 |
| | [illegible] | | [illegible] | 7728914872 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |